9

अग्रिम कर, स्रोत पर कर की कटौती तथा स्रोत पर कर संग्रह का परिचय

[ADVANCE TAX, TAX DEDUCTION AT SOURCE AND INTRODUCTION TO TAX COLLECTION AT SOURCE]

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के पश्चात् आप समझ पाएँगे :

- एक करदाता से कर वसूली की विधियाँ।
- कुछ निश्चित आय व भुगतानों पर स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों को समझना व लागू करना।
- यह जाँच करना कि किसी विशेष स्थिति में प्रासंगिक धारा के अन्तर्गत कर कटौती होगी अथवा नहीं ।
- विशेष दशाओं में स्रोत पर कर कटौती की गणना करना।
- उन दशाओं का पता लगाना जहाँ स्रोत पर कर कटौती की अनिवार्यता नहीं तथा इस उद्देश्य से शर्तों की पूर्ति करना।
- कर कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्त्तव्य को जानना व समझना।
- स्रोत पर कर कटौती करने में असफल रहने या भुगतान न करने के परिणामों की जाँच करना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करें।
- सराहना करें जब अग्रिम कर भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होता है।
- अग्रिम कर देयता की गणना और अग्रिम कर के भुगतान के लिए किस्तों की सूची।
- अग्रिम कर के अपूर्ण भुगतान या गैर भुगतान के लिए ब्याज की गणना।
- अग्रिम कर के स्थगन पर ब्याज की गणना।
- स्रोत पर कर संग्रहण के सिद्धान्त को समझना और सराहना करना जब स्रोत पर कर का संग्रहण होगा।
- स्रोत पर कर कटौती व स्रोत पर कर संग्रह के बीच अन्तर को समझना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय परिदृश्य

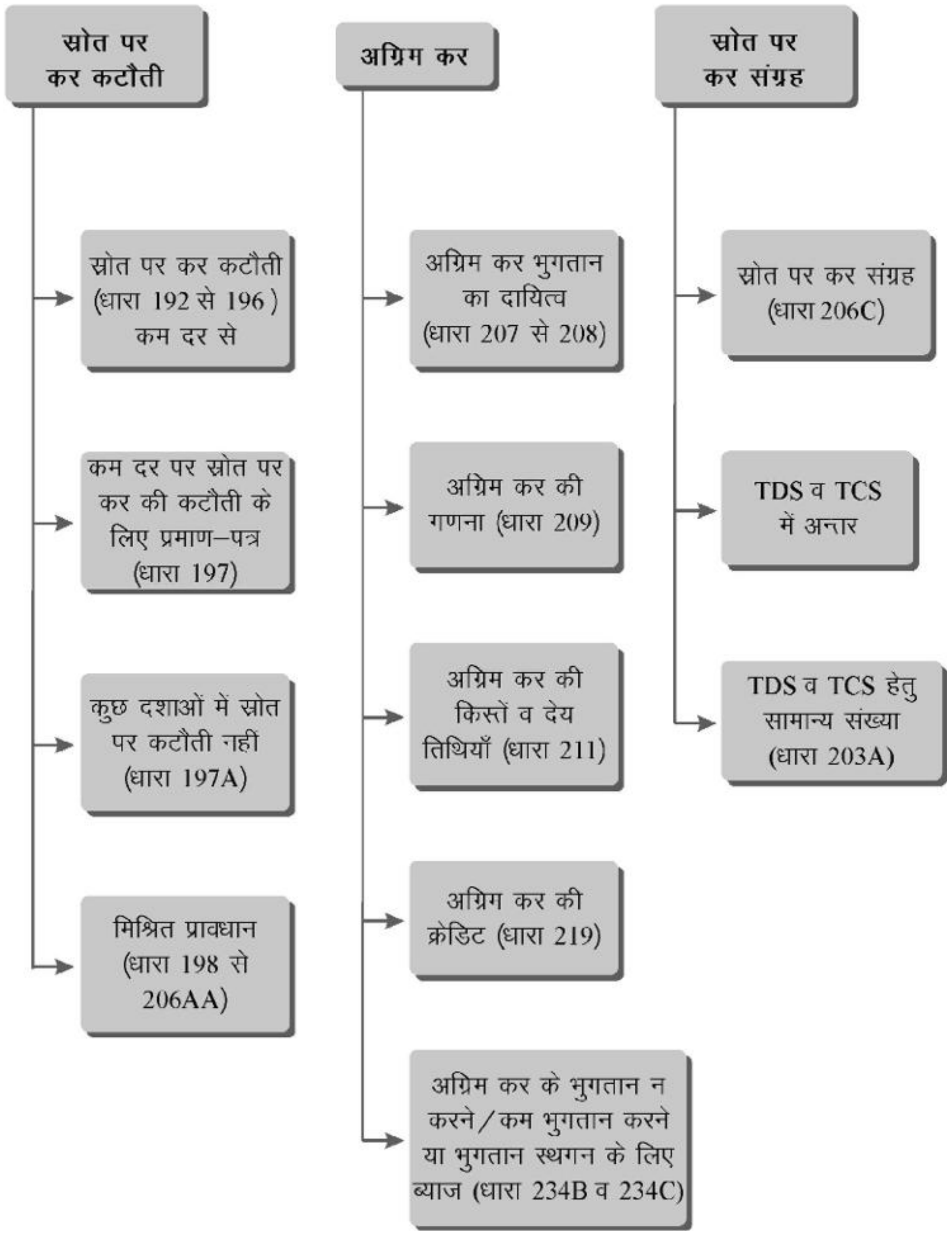

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. स्रोत पर कर कटौती व अग्रिम भुगतान [धारा 190] [Deduction of Tax at Source and Advance Payment (Section 190)]

गत वर्ष की करदाता की कुल आय प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष में करयोग्य है। उदाहरण के लिए, गतवर्ष 2019-20 की कुल आय कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कर योग्य है। लेकिन करदाता से कर वसूली गतवर्ष में ही निम्न द्वारा होती है :

1. स्रोत पर कर कटौती (TDS)
2. स्रोत पर कर संग्रह (TCS)
3. अग्रिम कर भुगतान

कर अदायगी की एक अन्य विधि नियोक्ता से कर वसूली धारा 192(1A) में कर्मचारी को गैर–मौद्रिक अनुलाभ प्रदान करने पर होती है।

ये कर, निर्धारिती से देय कर में से कटौती योग्य हैं। निर्धारिती को अपनी आय का रिटर्न दाखिल करते समय धारा 140A के अन्तर्गत एक निर्धारण कर का भुगतान करना पड़ता है, यदि समायोजन के बाद उसकी आय के अनुसार कुल आय पर कर देय है, अन्य विषयों में, धारा 89 के तहत कर दावे की TDS, TCS राहत, कर क्रेडिट की धारा 115JD और अग्रिम के प्रावधानों के अनुसार सेट ऑफ करने का दावा किया गया है।

2. प्रत्यक्ष भुगतान (धारा 191) [Direct Payment (Section 191)]

धारा 191 के अनुरूप करदाता को निम्न दशाओं में कर का प्रत्यक्ष भुगतान करना होता है :

(1) उस आय के मामले में जहाँ कर स्रोत पर नहीं काटा जाता हो।

(2) उस आय पर जहाँ कर कटौती योग्य है, लेकिन वास्तव में कटौती न हो पाई हो।

धारा 191 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए करदाता के विरुद्ध कर वसूली की प्रक्रिया शुरू करनी होगी जहाँ कर कटौती होने की अनिवार्यता के बावजूद कर न काटा गया हो।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस धारा के स्पष्टीकरण में यह प्रवाधान है कि यदि कोई व्यक्ति जिसमें कम्पनी का मुख्य अधिकारी भी शामिल है :

(1) जिसे स्रोत पर कर काटना है; या

(2) धारा 192 (1A) के अन्तर्गत नियोक्ता को गैर–मौद्रिक अनुलाभों पर कर चुकाना है।

यदि आंशिक या सम्पूर्ण रूप से कर कटौती न करे या कर कटौती के बाद काटे गए कर को जमा कराने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषपूर्ण करदाता माना जाएगा।

लेकिन यदि करदाता ने स्वयं कर चुका दिया है तो यह प्रावधान लागू न होगा

3. स्रोत पर कर कटौती [Deduction of Tax at Source]

3.1. वेतन (धारा 192) [Salary (Section 192)]

1. धारा 192 के अन्तर्गत TDS का लागू होना (Applicability of TDS under section 192)

इस धारा में वेतन के अन्तर्गत कर योग्य आय का भुगतान करने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह कर काटकर ही वेतन का भुगतान करे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. **कर–कटौती की विधि** (Manner of deduction of tax)

(i) आयकर की गणना करदाता की अनुमानित कुल आय में से गतवर्ष में लागू कर की दरों के औसत दर से कर की गणना की जाती है। अतः कर कटौती की जिम्मेदारी भुगतान के समय उत्पन्न होती है।

(ii) औसत दर का अर्थ है कुल आय पर संगणित कुल आयकर की राशि को कुल आय से भाग करना।

(iii) गैर मौद्रिक अनुलाभों पर कर के भुगतान की अवधारणा धारा 192(1A) व (1B) में दी गई है। इसमें नियोक्ता को स्रोत पर कटौती के विकल्प के तौर पर कर चुकाने का प्रावधान है। ऐसे कर को सकल वेतन पर लागू औसत दर से काटकर प्रत्येक महीने भुगतान करना होगा।

(iv) यदि कोई कर्मचारी दो नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है या अवकाश ग्रहण के बाद दूसरे नियोक्ता से वेतन लेता है, तो द्वितीय नियोक्ता से प्राप्त वेतन का ब्यौरा प्रथम नियोक्ता को देगा। इस पर प्रथम नियोक्ता सकल आय पर गतवर्ष में कर की कटौती करेगा।

(v) सरकार या कम्पनी के कर्मचारी की दशा में, सहकारी कम्पनी स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं में कटौती करते समय धारा 89(1) की छूट को ध्यान में रखना चाहिए।

(vi) यदि किसी करदाता की अन्य आय भी है तो उसे नियोक्ता को निम्न सूचना देनी होगी :

(a) अन्य आय का ब्यौरा और किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कर कटौती।

(b) मकान सम्पत्ति से हानि यदि कोई हो।

नियोक्ता स्रोत पर कर कटौती करते समय उक्त तथ्यों को ध्यान में रखेगा।

(vii) यह भी प्रावधान है कि मकान सम्पत्ति से हानि के समायोजन से हानि के सिवाय अन्य किसी समायोजन के परिणामस्वरूप वेतन पर कर कटौती में कमी नहीं होगी।

3. **अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभों का ब्यौरा प्रस्तुत करना** (Furnishing of statement of particulars of perquisites or profits in lieu of salary by employer to employee)

उपधारा 2C के अनुसार नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए अनुलाभों का ब्यौरा व उनके मूल्य का ब्यौरा कर्मचारी को देगा। यह विवरण, निर्धारित प्रारूप 12BA में होगा। यह अनिवार्यतः उसी दशा में लागू है जहाँ वेतन ₹ 1,50,000 से अधिक है। अन्य कर्मचारियों के लिए अनुलाभों/वेतन के स्थान में लाभों का विवरण फार्म 16 में ही होगा।

4. **CBDT द्वारा जारी परिपत्र** (Circular issued by CBDT)

प्रत्येक वर्ष CBDT सभी नियोक्ताओं को प्रासंगिक गतवर्ष के वेतन से कर कटौती के उद्देश्य से परिपत्र जारी करता है। इन निर्देशों का पालन करना चाहिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से साक्ष्य/सबूत/दावों के विवरण लेने की अनिवार्यता (Requirement to obtain evidence/proof/particulars of claims from the employee by the employer)

उप धारा (2D) 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत आदेय आय को देने वाले व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह करनिर्धारिती से सभी प्रमाण या साक्ष्य या निर्धारित माँग के विवरण (नुकसान को बराबर करने की माँग को सम्मिलित करते हुए), जो कानून के प्रावधान में दिए हुए हैं, प्राप्त करें निर्धारित तरीके से जो उपयोग किए जाएंगे–

(1) करदाता की आय का अनुमान लगाना

(2) धारा 192 (1) के अन्तर्गत कटौती योग्य कर की गणना करना।

नियम, 26C के लिए किसी कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित दावों के साध्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो उसकी आय का मूल्यांकन करने या स्रोत पर कर की कटौती की गणना करने के उद्देश्य से फार्म नं. 12BB में धारा 192 (1) के तहत भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं :

क्र.सं.	दावे की प्रकृति	साक्ष्य का विवरण
1.	मकान किराय भत्ता	जहाँ ₹ 1 लाख से अधिक गतवर्ष में किराए का भुगतान हो, मकान मालिक का नाम, पता PAN संख्या।
2.	यात्रा अवकाश छूट या सहायता	व्यय का साक्ष्य
3.	मकान सम्पत्ति से आय अन्तर्गत ब्याज की कटौती	ऋणदाता का नाम, पता व PAN
4.	अध्याय VI A में कटौती	निवेश या व्यय का साक्ष्य

3.2. कर्मचारी भविष्य निधि से परिपक्वतापूर्ण निकासी [धारा 192A] [Premature withdrawal from employees provident fund (Section 192A)]

(1) चौथी अनुसूची के भाग A के नियम 9 की अनुपालना : कुछ प्रश्न [Compliance with Rule 9 of Part A of the Fourth Schedule : Certain Concerns]

(i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF & MP) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (EPFS) की अनुपालना करनी होगी। लेकिन इन नियोक्ताओं के अपने निजी भविष्य निधि योजनाएं कुछ शर्तों के अधीन स्थापित करने की अनुमति होगी।

(ii) EPF & MP एक्ट, 1952 के तहत स्थापित भविष्य निधि या इसी अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कर मुक्त भविष्य निधि जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अनुमोदित किया हो उन्हें अधिनियम में अनुमोदित भविष्य निधि कहते हैं।

(iii) आय कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग A में RPF से सम्बन्धित प्रावधान हैं। वर्तमान में अनुसूची के 8वें नियम में कर्मचारी द्वारा संचित शेष से निकासी कर मुक्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) परिपक्वता पूर्व निकासी को रोकने के लिए तथा दीर्घकालीन बचतों के प्रोत्साहन हेतु यदि कर्मचारी 5 वर्ष की सतत सेवा पूर्व (खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा समाप्ति व्यवसाय के मन्द या बन्द होने, रोजगार समाप्ति इत्यादि के अतिरिक्त) निकासी करता है तथा नये नियोक्ता को शेष का हस्तांतरण नहीं करता तो ऐसी निकासी पर कर देय होगा।

(v) चौथी अनुसूची के भाग A का 9वां नियम ऐसी परिपक्वता पूर्व निकासी पर कर दायित्व की गणना विधि प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में 10वें नियम में भगुतान के समय पर कटौती की जिम्मेदारी RPF के ट्रस्टियों पर डाली गई है।

(vi) नियम 9 में ऐसी निकासी पर कर की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे कि अंशदान गैर–अनुमोदित भविष्य निधि में किया गया हो। निजी भविष्य निधि के ट्रस्टी सामान्यतः नियोक्ता समूहों के हिस्से होते हैं, अतः परिपक्वता पूर्व निकासी की सूचना के विषय में जानकारी रखते हैं, लेकिन ट्रस्टियों के लिए यह सदैव सम्भव नहीं कि कर्मचारियों की कर देयता की वर्ष वार सूचना कर निर्धारण के उद्देश्य से उन्हें प्राप्त हो जाए।

(2) TDS की उपयुक्ता तथा दर (Applicability and Rate of TDS)

धारा 192A कर्मचारी की भविष्य निधि से समय से पहले किए गए करयोग्य वापसी पर 10% की कर कटौती के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अनुसार मान्य भविष्य निधि में भाग लिए हुए कर्मचारी को देय जमा राशि उसकी कुल आय में जोड़ी जा सकती है। यदि fourth schedule के पार्ट A के नियम 8 के प्रावधान उपर्युक्त नहीं होते, तब कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के संरक्षक या योजना में अधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा राशि के भुगतान पर 10% आयकर की कटौती की जाएगी।

(3) TDS की समय सीमा (Time of tax deduction of source)

कर्मचारी संचित निधि के भुगतान के समय ही कर कटौती की जानी चाहिए।

(4) धारा 192A में TDS का लागू न होना (Non-applicability of TDS under section 192A)

यदि किसी कर्मचारी को सकल भुगतान राशि ₹ 50,000 से कम है तो इस धारा के अन्तर्गत कर कटौती नहीं की जाएगी।

(5) PAN न दिए जाने की दशा में अधिकतम सीमान्त दर से कटौती (Deduction at maximum marginal rate in case of non-submission of PAN)

किसी भी भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना PAN उपलब्ध कराना होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो कर कटौती अधिकतम सीमान्त दर से होगी।

3.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज [धारा 193] [Interest on Securities (Section 193)]

(1) TDS हेतु उत्तरदायी व्यक्ति (Person responsible for deduction of tax at source)

इस धारा में TDS का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का होगा जो किसी निवासी व्यक्तियों को प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान करेगा।

(2) TDS की दर (Rate of TDS)

कथित व्यक्ति पर देय योग्य ब्याज राशि से आय कर को लागू दर पर काटने की जिम्मेदारी डाली गई है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 193 के अंतर्गत कर कटौती की दर 10% है घरेलू कम्पनी तथा निवासी गैर–कम्पनी करनिर्धारिती की स्थिति में।

(3) मूल पर कर कटौती का समय (Time of tax deduction at source)

प्राप्तकर्ता के खाते में आय जमा के समय था नकद या चेक जारी द्वारा या ड्राफ्ट या अन्य साधन द्वारा भुगतान के समय, जो भी पहले हो, कर की कटौती की जाएगी।

बहूमूल्य कागज पर ब्याज के रूप में आय जहाँ भुगतान के लिए अधीन व्यक्ति के बही खाते के किसी खाते में जमा होती है, तो वह प्राप्तकर्ता के खाते में जमा आय मानी जाएगी तथा मूल पर कर काटा जाएगा। कथित ब्याज को जमा किए खाते को 'देय ब्याज खाता' या 'अनिश्चिय खाता' या किसी अन्य नाम से बुलाया जाएगा।

(4) धारा 193 के अन्तर्गत TDS का लागू न होना (Non-applicability of TDS under section 193)

किसी भुगतान योग्य ब्याज से कर कटौती न होगी यदि :

(i) $4\frac{1}{4}\%$ राष्ट्रीय सुरक्षा बॉण्ड, 1972 जहाँ खण्ड व्यक्ति में अनिवासी न हो।

(ii) $4\frac{1}{4}\%$ राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण, 1968 या $4\frac{3}{4}\%$ राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण, 1972 जहाँ ब्याज किसी व्यक्ति को भुगतान योग्य हो।

(iii) राष्ट्रीय विकास बॉण्डों पर

(iv) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IV निर्गम)

(v) किसी संख्या, अधिकरण या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या सहकारी संस्था (भूमि ऋण बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) जिसे केन्द्र सरकार अधिसूचित करे।

तद्नुसार, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 27 और 28/2018 दिनांक 18-6-2018 को अधिसूचित किया है,

(1) "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54 ई सी कैपीटल गैन्स बॉण्ड" पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है और

(2) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54ईसी कैपीटल गैन्स बॉण्ड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया है।

इस प्रकार, "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54ईसी कैपीटल गैन्स बॉण्ड" और "इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54ईसी कैपीटल गैन्स बॉण्ड" पर देय ब्याज के स्रोत पर कोई कर नहीं लगता है।

इस छूट का लाभ, हालांकि समर्थन या वितरण द्वारा ऐसे बॉण्ड के हस्तांतरण के मामले में स्वीकार्य होगा, केवल यदि हस्तांतरणकारी ऐसे हस्तांतरण के साठ दिनों की अवधि के भीतर डाक द्वारा PFCL/IRFCLको सूचित करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(vi) $6\frac{1}{2}$% गोल्ड बॉण्ड, 1977 या 7% गोल्ड बॉण्ड, 1980 जहाँ बॉण्ड का धारक व्यक्ति हो (अनिवासी के अतिरिक्त) बशर्ते कि बॉण्ड का धारक लिखित घोषणा करे कि सम्बन्धित गत वर्ष की अवधि में ब्याज की राशि ₹ 10,000 से अधिक नहीं है।

(vii) केन्द्र या राज्य सरकार की कोई अन्य प्रतिभूति **नोट : यह उल्लेखनीय है कि** 8% बचत (करयोग्य) बॉण्ड 2003 या 7.75% बचत (करयोग्य) बॉण्ड 2018 पर ब्याज की राशि ₹ 10,000 से अधिक होने पर TDS कटना होगा।

(viii) ऐसी कम्पनी द्वारा जारी ऋणपत्र (चाहे अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो अथवा नहीं) पर ब्याज जिसमें जनता का सारवान हित हो, के द्वारा निवासी व्यक्ति या HUF को भुगतान 1 लेकिन

(a) कम्पनी द्वारा भुगतान एकाउंटपेयी चेक द्वारा किया गया हो;

(b) ऐसे ब्याज की राशि या उसका जोड़ वित्तीय वर्ष में भुगतान या भुगतान योग्य किसी निवासी व्यक्ति या HUF को ₹ 5,000 से अधिक न हो।

(ix) LIC, GIC, GIC की सहायक कम्पनियों या अन्य बीमाकर्ताओं को प्रतिभूति पर ब्याज, बशर्ते,

(a) प्रतिभूतियाँ उनके स्वामित्व की हों, या

(b) ऐसी प्रतिभूतियों के सम्पूर्ण लाभकारी अधिकार उनके पास हों।

(x) किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसी प्रतिभूति जोडी मेट प्रारूप में हो तथा भारत में किसी अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जो प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) एक्ट, 1956 तथा उसके नियमों के अधीन हो।

3.4 **प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज** [धारा 194A] (Interest Other than Interest on Securities (Section 194A)]

यह धारा प्रतिभूति ब्याज से भिन्न ब्याज पर TDS से सम्बन्ध रखती है। मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :

(1) धारा 194A में TDS का लागू होना

यह धारा उन करदाताओं पर लागू है जो व्यक्ति HUF से भिन्न हैं तथा जिन्होंने प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त कोई अन्य ब्याज का भुगतान किया है तथा जिनकी कुल बिक्री सकल प्राप्तियाँ या लेन–देन पूर्व के वित्त वर्ष के दौरान धारा 44AB के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 1 करोड़ या ₹ 50 लाख से अधिक नहीं।

ये प्रावधान केवल निवासियों को क्रेडिट या ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में लागू हैं।

(2) TDS कटने का समय

कर कटौती करने का समय है भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसे ब्याज का क्रेडिट, नकद अथवा अन्य कोई विधि के द्वारा जो पहले हो।

जहाँ ब्याज की राशि भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते में क्रेडिट होती हो तो ऐसी क्रेडिट को भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम में क्रेडिट माना जाएगा तथा उसी समय TDS

© The Institute of Chartered Accountants of India

कटना होगा। ऐसे खाते को देय ब्याज खाता या उचन्ति खाता या अन्य किसी नाम से पुकारा जा सकता है।

CBDT ने परिपत्र सं. 3/2010 दिनांक 2.3.2010 के द्वारा स्पष्ट किया है कि CBS को काम में लाने वाले बैंक जो प्रावधायी खाते में दैनिक या मासिक क्रेडिट CBS सॉफ्टवेयर का प्रयोग मॉनिटरिंग उद्देश्य से करते हैं, उनके सम्बन्ध में 194A का स्पष्टीकरण लागू नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि दैनिक या मासिक क्रेडिट समष्टि नियंत्रण के लिए किया जाना भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट नहीं है अतः ऐसे ब्याज प्रावधान पर (TDS कटने की आवश्यकता नहीं है।) अतः इन मामलों में TDS जमाकर्ता या भुगतान प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप या अवधि जमा के नकदीकरण या परिपक्वता जो पहले हो या समग्र ब्याज का भुगतान/क्रेडिट करने की समय सीमा 194A के अनुरूप पूरी होती हो। वित्तीय वर्ष के अन्त में या अन्य कोई अवधि पर्यन्त करना होगा।

नोट : TDS के भुगतान का समय प्राप्तकर्ता के खाते में वास्तविक रूप से जमा करने की तिथि से गिना जाएगा।

(3) TDS की दर

कटौती की दर को वार्षिक वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग II में दिया गया है। निवासी गैर–निगमित करदाता तथा भारतीय कम्पनियों की दशा में कटौती की दर 10% होगी।

(4) 194A के अन्तर्गत TDS का लागू न होना

निम्न दशाओं में TDS नहीं होगा :

(a) यदि ब्याज भुगतान या क्रेडिट की सकल राशि एक वित्तीय वर्ष में ₹ 5,000 से अधिक न हो

निम्न पर ब्याज भुगतान की दशा में यह सीमा ₹ 10,000 होगी।

(i) बैंकिंग कम्पनी में अवधि जमा

(ii) बैंकिंग व्यवसाय में रत सहकारी समिति में अवधि जमाएं

(iii) अधिसूचित योजनान्तर्गत पोस्ट ऑफिस में जमाएं

ऊपर दिए गये बिन्दु (i), (ii), (iii) में ब्याज भुगतान की सीमा ₹ 50,000 होगी, अगर करदाता वरिष्ठ नागरिक है तो

एक बैंकिंग कम्पनी, या सहकारी समिति या सार्वजनिक कम्पनी की शाखा द्वारा क्रेडिट या भुगतान अन्य के सम्बन्ध में सीमा की गणना निम्न दशाओं में :

(i) बैंकिंग कम्पनी मे ंअवधि जमा

(ii) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति में अवधि जमा, और

(iii) हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों में जमा, बशर्ते कि

— वे भारत में निर्मित व पंजीकृत सार्वजनिक कम्पनी हों।

© The Institute of Chartered Accountants of India

— उनका मुख्य उद्देश्य भारत में रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराना हो।

बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक या सार्वजनिक कम्पनी के मियादी जमा (Time deposit) से संबंधित आय जमा या भुगतान की स्थिति में, जिसका मुख्य उपदेश भारत में निवास के लिए मकान बनवाने या खरीदने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने का है, मूल पर कर कटौती की देहली सीमा (Threshold limit) (अर्थात् ₹50,000, ₹ 10000 या ₹ 5000, जैसी स्थिति हो) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी संस्था या सार्वजनिक कम्पनी की शाखा द्वारा जमा या भुगतान की गई आय के आधार पर गणित की जाएगी।

देहली सीमा की गणना बैंकिंग कम्पनी या सहकारी संस्था या सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जमा या भुगतान की गई कुल ब्याज के आधार पर होगी (तथा प्रत्येक शाखा के आधार पर नहीं) जहाँ इस बैंकिंग कम्पनी या सहकारी संस्था या सार्वजनिक कम्पनी ने कोर बैंकिंग समाधान अपनाया हो।

(b) फर्म या उसके किसी साझेदार द्वारा भुगतान या क्रेडिट ब्याज;

(c) सहकारी समिति (सहकारी बैंक से भिन्न) द्वारा क्रेडिट या भुगतान अपने किसी सदस्य या सहकारी समिति द्वारा दूसरी सहकारी समिति को क्रेडिट या भुगतान आय;

(d) किसी योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार अधिसूचित जमाओं के सम्बन्ध में क्रेडिट या भुगतान ब्याज :

(e) निम्न के साथ जमाओं (1.7.1995 को या बाद में जमाओं से भिन्न) के सम्बन्ध में क्रेडिट या भुगतान ब्याज :

- (i) बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 से नियंत्रित बैंक
- (ii) बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति।

(f) प्राथमिक कृषि साख समिति या प्रारम्भिक साख समिति या सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ब्याज क्रेडिट या भुगतान;

(g) आयकर अधिनियम, 1961 के किसी प्रावधान के अन्तर्गत, सम्पत्ति शुल्क अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 उपहार कर अधिनियम, कम्पनी लाभ (सरटैक्स) अधिनियम या ब्याज कर अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा क्रेडिट या भुगतान ब्याज;

(h) निम्नलिखित संस्थाओं को क्रेडिट या भुगतान ब्याज :

- (i) बैंकिंग कम्पनी, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति सहकारी भूमि विकास बैंक सहित;
- (ii) केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित वित्तीय निगम;
- (iii) भारतीय जीवन बीमा निगम;
- (iv) बीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनी या सहकारी समिति;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(v) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, और

(vi) अधिसूचित, संस्था, परिषद्, संस्थाओं का वर्ग, संस्थाओं का संघ (इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास फण्ड को अधिसूचित किया है।)

(i) मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति पर ब्याज की आय;

(j) मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति पर ब्याज की आय यदि वित्तीय वर्ष में ₹ 50,000 से अधिक न हो;

(k) 1.6.2005 को या बाद में किसी आधारभूत ढ़ांचा पूँजी कम्पनी या आधारभूत ढ़ांचा पूँजी कोष या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या अनुसूचित बैंक द्वारा शून्य कूपन बॉण्ड पर भुगतान या भुगतान योग्य आय।

नोट—शब्द सावधि जमा [4 (a), (e) व (f) के उद्देश्य हेतु] का तात्पर्य वे जमा जिसमें आवर्ती जमाएं शामिल हैं जो निश्चित समय उपरान्त वापसी योग्य हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यदि ब्याज की कुल राशि ₹ 50,000 से अधिक नहीं है, [अधिसूचना संख्या 6/2018 दिनांक 6-12-2018] तो धारा 194A के अधीन स्रोत पर कोई कर नहीं घटाया जाएगा।

धारा 194A (3) के तीसरे प्रावधान के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, जहां ब्याज की राशि या ब्याज की राशि का कुल बैंकिंग कम्पनी, सहकारी संस्था जो बैंकिंग व्यवसाय या डाक घर व्यवसाय में लगे हुए हैं, के द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान या क्रेडिट किया गया है। उनकी राशि ₹ 50,000 से अधिक नहीं है, तो इस मामले में स्रोत पर कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह सीबीडीटी के ध्यान में आया है, कि कुछ कर कटौतीकर्ता/बैंक ब्याज की राशि ₹ 50,000 से अधिक न होने पर भी कटौती कर रहे हैं।

आयकर नियमों, 1962 के नियम 31A(5) के अनुसार डीजीआईटी (सिस्टम) विवरणों को प्रस्तुत करने और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है या धन वापसी के लिए दावा करता है और कथन के सत्यापन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में या निर्दिष्ट तरीके से धनवापसी के दावे के संबंध में दिन–प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।

तद्नुसार, आयकर महानिदेशक (सिस्टम) में नियम 31A(5) के तहत CBDT द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में स्पष्ट किया है कि धारा 194A के तहत स्रोत पर कोई कर कटौती वरिष्ठ नागरिकों के मामले में नहीं की जाएगी। जहां इस तरह की आय की राशि या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई ऐसी आय की राशि ₹ 50,000 से अधिक नहीं है।

न्यायालय के रजिस्टर जनरल या न्यायालय के निर्देशों पर फण्ड के जमाकर्ता के निर्देशों पर किए गए सावधि जमा पर ब्याज पर धारा 194A के तहत स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों का लागू होना। [परिपत्र संख्या 23/2015, दिनांक 28-12-2015]

धारा 194A के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती को निर्धारित करता है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के ब्याज का भुगतान या भुगतान करने वाले के खाते में जमा राशि निर्दिष्ट राशि से अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

UCO बैंक की रिट याचिका नं. 3563 के 2012 और CM सं. 7517/2012 के मामले में विचारणीय निर्णय 11/11/2014 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में माना है कि धारा 194A के प्रावधान न्यायालय के सामाने कार्यवाही के दौरान न्यायालय के निर्देशों पर न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर सावधि जमा पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में जब तक न्यायालय एक पर्याप्त आदेश जारी नहीं कर देता, तब तक यह ज्ञात नहीं है कि सावधि जमाओं का लाभार्थी कौन होगा। राशि और प्राप्ति का वर्ष भी सुनिश्चित नहीं है। इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि जिस व्यक्ति को अंततः धनराशि प्रदान की जाती है, उसे बाद में पारित आदेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उस स्तर पर निर्विवाद रूप से, प्राप्तकर्ता के क्रेडिट पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। हाई कोर्ट ने परिपत्र नंबर 8/2011 को भी खारिज कर दिया है।

CBDT ने उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर एफडीआर पर ब्याज या न्यायालय के निर्देश पर निधि के जमाकर्ता को तब तक टीडीएस के अधीन नहीं किया जाएगा। जब तक कि मामला अदालत द्वारा तय नहीं किया जाता है। हालांकि, एक बार जब न्यायालय सावधि जमा में पड़े धन के स्वामित्व का निर्णय करती है, तो धारा 194A के प्रावधान आय प्राप्त करने वाले पर लागू होंगे।

नाबालिग बच्चे के लिए अर्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर की कटौती, जहां माता–पिता दोनों मृत हो गए हैं। [अधिसूचना संख्या 05/2017, दिनांक 29.05.2017]

आयकर नियमों, 1962 के नियम 31A(5) के अंतर्गत, आयकर महानिदेशक (सिस्टम) विवरणों को प्रस्तुत करने और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत हैं और कथन के सत्यापन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में या निर्दिष्ट तरीके से दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।

आयकर महानिदेशक (सिस्टम) के नियम 31A(5) के तहत CBDT द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में निर्दिष्ट किया है कि नाबालिगों के मामले में जहां माता–पिता दोनों मृत हो गए हैं, ब्याज आय पर टीडीएस नाबालिग बच्चे के पैन के खिलाफ कटौती और रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। जब तक कि नियम 37BA(2) के तहत एक घोषणा दायर नहीं की जाती है कि कर कटौती का श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना है।

कैपिटल गेन अकाउंट्स स्कीम, 1988 के अंतर्गत जमा पर ब्याज पर कर की कटौती, जहां जमाकर्ता मृत हो गए हैं। [अधिसूचना संख्या 08/2017, दिनांक 13.09.2017]

प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) के नियम 31A(5) के तहत CBDT द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में इस अधिसूचना के तहत यह निर्दिष्ट किया है कि कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम, 1988 के अंतर्गत जमाकर्ताओं के मामले में जहां जमाकर्ता मृतक है।

(i) जमाकर्ता की मृत्यु की अवधि तक और उसके बाद अर्जित ब्याज आय पर टीडीएस काटे जाने और जमाकर्ता के पैन के खिलाफ रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है और

(ii) जमाकर्त्ता की मृत्यु के बाद की अवधि के लिए अर्जित ब्याज आय पर टीडीएस की कटौती कानूनी उत्तराधिकारी के पैन के खिलाफ रिपोर्ट करना आवश्यक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

जब तक नियम 37BA(2) के तहत एक घोषणा दायर नहीं की जाती है कि कर कटौती का श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना है।

उदाहरण (Illustration) 1

नीचे वर्णित मामलों में धारा 194A के अन्तर्गत TDS लागू होने की जाँच करें।

(i) 01.10.2019 को श्री X ने ABC सहकारी बैंक में ₹ 10 लाख की @ 9% p.a. की एक छः माह सावधि जमा की। सावधि जमा 31.03.2020 पर पूरी हो गई।

(ii) 01.06.2019 को श्री गणेश ने XYZ बैंक जो CBS से अंगीकृत है की द्वारका शाखा जनकपुरी शाखा तथा रोहणी शाखा के साथ 9% की ब्याज के साथ ₹ 3-3 लाख की तीन नौ माह सावधि जमा की। सावधि जमा *28.2.2020 पर पूरी होंगी।*

(iii) 1.4.2019 को श्री राजेश ने PQR बैंक में ₹ 80,000 प्रति माह @8% p.a. की एक वर्षीय आवर्ती जमा शुरू की। आवर्ती जमा 31.3.2020 को पूरी होगी।

हल (Solution)

(i) ABC सहकारी बैंक को धारा 194A के तहत 45,000 (9% × 10 लाख × 1/2) के ब्याज पर स्रोत @10% कर की कटौती करनी है। इस तरह के ब्याज से धारा 194A के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य इसलिए ₹ 4,500 है।

(ii) XYZ बैंक को धारा 194A के तहत स्रोत @10% पर कर की कटौती करनी है, क्योंकि बैंक की तीन शाखाओं के साथ सावधि जमा पर कुल ब्याज ₹ 60,750 [3,00,000 × 3 × 9% × 9/12] जो कि ₹ 40,000 की सीमा से अधिक है। चूंकि XYZ बैंक ने CBS को अपनाया है, सभी शाखाओं द्वारा जमा/भुगतान किए गए कुल ब्याज पर विचार किया जाता है। चूंकि 60,750 का कुल ब्याज 40,000 की सीमा से अधिक है, इसलिए धारा 194A के तहत कर @10% काटा जाना चाहिए।

(iii) श्री राजेश को 31.03.2020 पर आवर्ती जमा पर पड़ने वाले ₹ 41,600 के ब्याज पर PQR बैंक द्वारा धारा 194A के तहत कर काटा जाना है, क्योंकि :

   (1) "आवर्ती जमा" को "समय जमा" की परिभाषा में शामिल किया गया है और

   (2) इस तरह की ब्याज सीमा ₹ 40,000 से अधिक है।

3.5 लॉटरी क्रॉसवर्ड, पजल्स व घुड़दौड से जीत की राशि [धारा 194B व 194BB] [Winnings from lotteries, crossword puzzles and horse races (Sections 194B and 194BB)]

(1) आकस्मिक आय पर कर कटौती की दर

आकस्मिक व अनावर्ती प्रकृति की किसी भी आय पर जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम तथा घुड़दौड़ को शामिल करते हुए किसी प्रकार के खेल से आय पर 30% की दर से कर देय होगा। [धारा 115BB]

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स इत्यादि पर TDS

धारा 194B के अनुसार किसी व्यक्ति को चाहे वह निवासी हो या अनिवासी को लॉटरी व अन्य किसी प्रकार के बिल से आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसी आय के ₹ 10,000 से अधिक होने पर 30% की दर से कर कटौती करनी होगी।

(3) अंशतः नकद व अंशतः अन्य प्रकार से भुगतान की दशा में

उस दशा में जब जीत की राशि का भुगतान पूर्णतः नकद या अंशतः नकद व अंशतः अन्य विधि से तो भुगतानकर्ता का दायित्व है कि सीमा से अधिक भुगतान पर कर कटौती को सुनिश्चित करें।

(4) 194BB के अन्तर्गत कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

धारा 194BB निम्न व्यक्तियों पर TDS कर कटौती का उत्तरदायित्व डालती है :

(i) एक बुक मेकर, या

(ii) जिस व्यक्ति को सरकार ने किसी अधिनियम के अधीन अनुज्ञापन जारी किया हो—

(a) घुडदौड़ हेतु रेस कोर्स में; या

(b) किसी रेस कोर्स में वेजरिंग या बैटिंग की व्यवस्था हेतु

(5) धारा 194 BB के अंतर्गत TDS की देहली सीमा तथा दर

धारा 194 BB के अंतर्गत मूल पर कर कटौती की बाध्यता तब उत्पन्न होती है जब उपर्युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्ति को किसी घुड़दौड़ की जीत से उत्पन्न हुई आय का भुगतान ₹ 10,000 से अधिक करता है। मूल पर कर कटौती की मान्य दर 30% है।

कर की कटौती तब भी की जाएगी जब घुड़ दौड़ की जीत का भुगतान संबंधित व्यक्ति को ₹ 10,000 से कम की किस्त पर किया जाता है। उसी प्रकार से, यदि बुकी या अन्य व्यक्ति जीत के भुगतान के लिए जिम्मेदार है तब जीत को जमा तथा नुकसान के नाम ग्राहक के खाते में किया जाएगा, नुकसान को व्यवस्थित करने से पहले जीत पर 30% कर की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कर तथा नुकसान की कटौती के बाद के शुद्ध राशि को विजेता को भुगतान किया जाएगा।

(6) वाक्यांश 'घुडदौड़' का अर्थ

धारा 194BB के सन्दर्भ में वाक्यांश 'घुड़दौड' में परिस्थिति अनुसार एक से अधिक घुड़दौड शामिल होगी। अतः जैकपोट के माध्यम से जीत भी धारा 194BB में आएगी।

3.6 ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों को भुगतान [धारा 194C] [Payments to contractors and sub-contractors (Section 194C)]

(1) 194 C में TDS का लागू होना

194C में निवासी ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों को भुगतान से TDS करने का प्रावधान है। जो व्यक्ति किसी निवासी ठेकेदार को किसी कार्य को करने (कार्य करने हेतु श्रमिकों की पूर्ति को शामिल करते हुए) के बदले किसी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय,

© The Institute of Chartered Accountants of India

वैधानिक निगम, सहकारी समिति, कोई संस्था जो हाउसिंग में व्यवसाय करती हो, कोई संस्था जो समिति पंजीयन कानून 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो या कोई फर्म या कोई विदेशी देश या विदेशी उपक्रम या कोई संस्था जो भारत से बाहर स्थापित हो या कोई व्यक्ति या AOP/BOI जो धारा 44AB(a)/(b) के तहत कर अंकेक्षण के अन्तर्गत आती हो से अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी भुगतान को करने के लिए उत्तरदायी हो गतवर्ष में ऐसी राशि से स्रोत पर कर कटौती करेगा।

(2) कटौती का समय

राशि का भुगतान करते समय या ठेकेदार के खाते में क्रेडिट करते समय जो पहले हो, TDS करना होगा।

जब ऐसी राशि को खाता पुस्तकों में उत्तरदायी व्यक्ति के खाते में क्रेडिट किया जाता है तो उसे प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट माना जाएगा व TDS करना होगा ऐसे खाते को उचित या अन्य किसी नाम से जान सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु व्यक्ति या HUF द्वारा किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में राहत दी गई है।

(3) TDS की दर

प्राप्तकर्ता के व्यक्ति या HUF होने की दशा में TDS की दर 1% व अन्य प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में 2% TDS कटना होगा। ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों पर भी TDS की यही दरें लागू होंगी। 194C अन्तर्गत लागू TDS दरें निम्न हैं।

प्राप्तकर्ता	TDS दर
व्यक्ति / ठेकेदार / उप–ठेकेदार	1%
व्यक्ति से भिन्न / HUF ठेकेदार / उप–ठेकेदार	2%
यातायात व्यवसाय में ठेकेदार (यदि पैन है)	शून्य
उप–ठेकेदार (यातायात व्यवसाय) (PAN की दशा में)	शून्य

(4) धारा 194 C के अंतर्गत मूल पर कर कटौती की देहली सीमा (Threshold limit for deduction of tax at source under section 194 C)

कटौती की आवश्यकता नहीं होगी यदि इकरार का प्रतिफल ₹ 30,000 से अधिक नहीं है। हालाँकि कर कटौती से बचने के लिए मिश्रित इकरार को ₹ 30,000 से कम के इकरारों में बाँटने की कार्य प्रणाली को रोकने के लिए यह प्रदान किया गया है कि मूल पर कर कटौती की आवश्यकता होगी जब ठेकेदार या उप–ठेकेदार को जमा या भुगतान की गई राशि या जमा या भुगतान योग्य राशि प्रत्येक भुगतान में ₹ 30,000 से अधिक है या वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 1,00,000 से अधिक है।

अतः ठेकेदार को किया गया प्रत्येक भुगतान यदि ₹ 30,000 से अधिक नहीं है तब भी धारा 194 C के अंतर्गत TDS प्रावधान लागू होंगे जब ठेकेदार को वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि का जमा या भुगतान हुआ हो या होने योग्य हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 2

ABC लि. X को गतवर्ष 2019-20 में एक ठेकेदार को निम्न भुगतान करती है :

1.5.2019 को ₹ 20,000

1.8.2019 को ₹ 25,000

1.12.2019 को ₹ 28,000

1.3.2020 को X को ठेका कार्य के लिए ₹ 30,000 की राशि देय है। बताइए कि क्या ABC लि. TDS के लिए 194C अन्तर्गत X से कर काटने के लिए उत्तरदायी है?

हल (Solution)

इस मामले में एक अकेला भुगतान ₹ 30,000 से अधिक नहीं है लेकिन X को सकल भुगतान राशि गतवर्ष 2019-20 में 1 लाख से अधिक होने के कारण TDS के प्रावधान लागू होंगे। सम्पूर्ण राशि ₹ 1,03,000 का TDS देय राशि ₹ 30,000 से काटकर ₹ 28,970 (₹ 30,000 – ₹ 1,030) का भुगतान X को करना होगा।

(5) कार्य की परिभाषा

कार्य में शामिल है—

(a) विज्ञापन

(b) रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण या इन हेतु कार्यक्रमों का निर्माण

(c) माल या यात्रियों को यातायात के किसी प्रकार से ले जाना रेलवे से भिन्न

(d) खानपान

(e) ग्राहक से माल खरीदकर उससे ग्राहक जरूरत के मुताबिक उत्पादक निर्माण पूर्ति करना।

हालांकि 'कार्य' में ग्राहक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से कच्चा माल खरीदकर ग्राहक की आवश्यकता या विशिष्टता अनुसार वस्तु का उत्पादन या आपूर्ति सम्मिलित नहीं होती, इस रूप में यह इकरार 'बिक्री' का इकरार माना जाता है। हालाँकि यह उस इकरार में उपयुक्त नहीं होता जिसमें वस्तु या पदार्थ का उत्पादन या आपूर्ति नहीं होती। (उदाहरण : निर्माण इकरार)

लेकिन कार्य में ऐसे उत्पाद का निर्माण या पूर्ति शामिल नहीं है। जब ग्राहक से काल विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत खरीदा जाए। लेकिन ऐसे अनुबन्ध पर लागू न होगा जहाँ पूर्ति या निर्माण किसी वस्तु या पदार्थ का हो। इस दशा में ग्राहक से पदार्थ खरीद की मूल्य को अलग करते हुए बीजक मूल्य पर TDS कटना होगा। यदि इसका जिक्र बीजक में हो। जहाँ माल का बीजक में अलग से जिक्र न हो तो सम्पूर्ण बीजक मूल्य पर TDS होगा।

(6) 194C के अन्तर्गत TDS का लागू न होना

माल वाहनों के चलाने, किराए या पट्टे पर देने के बदले किसी ठेकेदार को भुगतान/भुगतान योग्य क्रेडिट राशि से TDS नहीं होगा यदि वह कटौतीकर्ता को PAN उपलब्ध करा देगा।

कानून की सही नीयत को समझाने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि ठेकेदार को भुगतान वाहन व्यय की प्रकृति में यदि हैं तो TDS की अनिवार्यता से राहत मिल जाएगी, यदि वह अग्र तीन शर्तें एक साथ पूरी करे :

© The Institute of Chartered Accountants of India

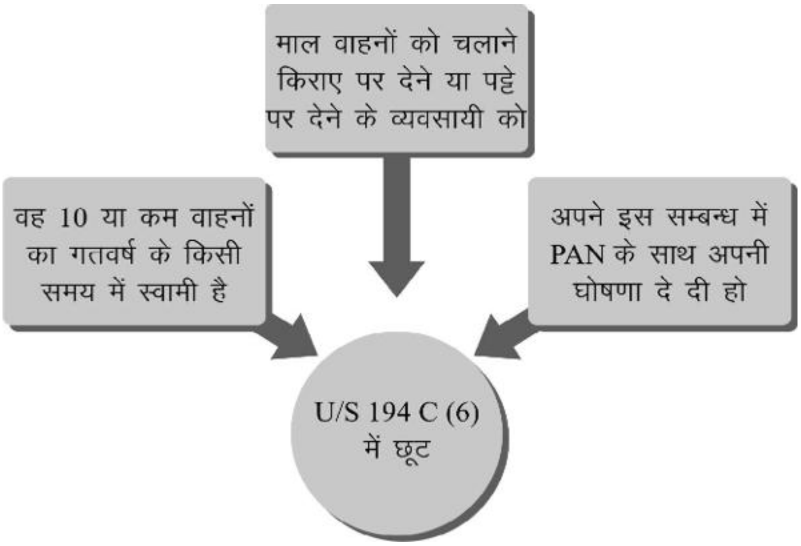

माल वाहन का अर्थ

माल वाहन का अर्थ निम्न है :

(i) कोई भी मोटरयान जिसका निर्माण या ढाल केवल माल ढोने के लिए कराया गया हो; या

(ii) कोई मोटरयान जिसका निर्माण या ढ़ाल माल के ढोने के समय न हुआ हो। मोटरयान में वाहन शामिल नहीं है। जिनके 4 से कम पहिए हैं तथा इंजन क्षमता 25CC से कम है और पटरी पर चलने वाले वाहन तथा संलग्न भवन या फैक्ट्री में प्रयोग हेतु ढाले गए वाहन।

(7) महत्वपूर्ण बिन्दु

(i) आयकर की कटौती किसी कार्य को करने या उस हेतु श्रमिकों की पूर्ति के लिए भुगतान राशि से होगी। अन्य शब्दों में, यह धारा कार्य अनुबन्धों व श्रमिक अनुबन्धों के सम्बन्ध में लागू है न कि वस्तुओं के विक्रय अनुबन्धों पर।

(ii) पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के अनुबन्ध जैसे वकील, फिजीशियन, सर्जन, इंजीनियर, लेखाकार, वास्तुकार, सलाहकारों इत्यादि से अनुबन्धों को कार्य सम्पादन के अनुबन्ध नहीं माना जा सकता है, तदनुसार इस धारा के अन्तर्गत इन अनुबन्धों के भुगतान से कर कटौती न होगी। फीस व पेशेवर सेवाओं के लिए अलग प्रावधान धारा 194J में किए गए हैं।

(iii) कर कटौती राशि के ठेकेदार के खाते में क्रेडिट किए जाने या नकद भुगतान या अन्य किसी विधि से जो पहले हो, के समय की जाएगी।

(8) प्राकृतिक गैस के क्रेता द्वारा विक्रेता गैस की बिक्री पर गैस के यातायात व्यय के भुगतान पर TDS [परिपत्र सं. 9/2012 दि. 17.10.2012]

उस दशा में जब गैस का स्वामी/विक्रेता गैस को बेचता है तथा क्रेता के सुपुर्दगी बिन्दु तक भेजता है, जहाँ साथ–साथ गैस का स्वामित्व भी हस्तांतरित हो जाता है तो विक्रय

© The Institute of Chartered Accountants of India

बिल बनाने की विधि (चाहे गैस के यातायात व्यय गैस की लागत में शामिल हो या अलग से दिखाए हो), ऐसे अनुबन्ध की आधारभूत प्रकृति को नहीं बदलता जो निश्चित रूप से विक्रय अनुबन्ध रहता है। न कि 194C के अनुरूप कार्य अनुबन्ध। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में गैस के स्वामी/विक्रेता द्वारा क्रेता को भुगतान व्यय पर अध्याय XVIIB के प्रावधान लागू नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यातायात के भिन्न–भिन्न साधनों का प्रयोग स्थिति को नहीं बदल देता।

लेकिन, यातायात के वाहक द्वारा तृतीय पक्ष को यातायात व्ययों का भुगतान अधिनियम के सम्यक प्रावधानों से शासित होता रहेगा तथा तृतीय पक्ष को भुगतान से TDS कटना होगा।

(9) प्रसारकों या टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रम के निर्माण के लिए किए गए भुगतान पर TDS प्रावधानों का लागू होना [परिपत्र सं. 04/2016 दि. 29.2.2016]

प्रसारकों या टेलीविजन प्रसारकों द्वारा कार्यक्रमों के निर्माण के लिए कार्य अनुबन्ध के अन्तर्गत राशि 194C के अन्तर्गत TDS योग्य है या धारा 194J के अन्तर्गत पेशेवर या तकनीकी सेवाओं में TDS योग्य है, इस मुद्दे पर विचार किया गया है।

इस विषय में CBDT ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम निर्माण के अनुबन्ध पर TDS के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते समय निम्न के बीच अन्तर किया जाना आवश्यक है :

(i) प्रसारक या टेलीविजन चैनल के निर्देशानुसार कार्यक्रम निर्माण हेतु भुगतान, तथा

(ii) पूर्व में निर्माता द्वारा निर्मित कार्यक्रम के प्रसारण या दूरदर्शन प्रसारणों के अधिकार हासिल करने हेतु भुगतान

पहली स्थिति में कार्यक्रम का निर्माण प्रसारक या चैनल के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार होगा तथा कार्यक्रम का कॉपीराइट भी प्रसारक या चैनल को हस्तांतरित होगा, ऐसा अनुबन्ध कार्य अनुबन्ध की परिभाषा में आता है जो 194C के अनुरूप TDS के अधीन होगा।

लेकिन, उस दशा में जहाँ प्रसारक/चैनल पहले से ही निर्मित कार्यक्रम के प्रसारण या दूरदर्शन प्रसारण के अधिकार प्राप्त करता है तो किसी कार्य को करने सम्बन्धी 194C(1) के अनुरूप अनुबन्ध नहीं होता। अतः ऐसे भुगतान 194C के अन्तर्गत TDS के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन ऐसे भुगतान अधिनियम के अध्याय XVII B के अन्तर्गत आते हैं तथा TDS भी उसी के अन्तर्गत होगा।

उदाहरण (Illustration) 3

वाहन चालकों को नकद भुगतानों के सम्बन्ध में 40A(3) में कुछ रियायतें 194C के अन्तर्गत TDS में दी गई हैं। विस्तार से समझाइए।

हल (Solution)

धारा 40A(3) किसी व्यक्ति को एक दिन में भुगतान या कुल भुगतान से संबंधित खर्चे को अस्वीकृत करता है यदि वह ₹ 10000 से अधिक है तथा वह भुगतान या कुल भुगतान अदाता खाता चेक या अदाता खाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक द्वारा ECS के अतिरिक्त किया गया हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालाँकि, वस्तु वाहनों को काम करने, किराये करने या पट्टे पर देने वाले परिवाहक परिचालक को किये भुगतान की स्थिति में अस्वीकृति तभी आएगी जब व्यक्ति को एक दिन में किया भुगतान ₹ 35,000 से अधिक होता है। अतः परिवाहक परिचालक को एक दिन में भुगतान या कुल भुगतान ₹ 35,000 तक हो सकता है अदाता खाता चेक या अदाता खाता बैंक ड्राफ्ट या ECS को उपयोग किए बिना जहाँ धारा 40A(3) के अस्वीकृति नहीं लगेगी।

धारा 194C के अंतर्गत, व्यक्ति या HUF ठेकेदारों, को किए भुगतान पर 1% के कर की कटौती होगी या 2% की कटौती अन्य स्थिति में।

हालाँकि, ठेकेदार के वस्तु वाहन के काम करने, किराए पर देने या पट्टे पर देने के व्यापार के दौरान पूर्व वर्ष में ठेकेदार को राशि जमा या भुगतान या जमा या भुगतान योग्य होने पर कटौती नहीं की जाएगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं–

(1) पूर्व वर्ष के समय 10 या उससे कम वस्तु वाहन उसके अधिकृत हों।

(2) वह वस्तु वाहन के काम करने, किराए पर देने या पट्टे के व्यापार में व्यस्त हो।

(3) उसने अपने PAN के साथ इससे संबंधित घोषणा जमा की हो।

3.7 बीमा कमीशन [धारा 194 D] [Insurance Commission (Section 194D)]

(1) 194D अन्तर्गत TDS का लागू होना

धारा 194(D) में यदि कोई भी व्यक्ति पारिश्रमिक या ज्ञान के रूप में कमीशन के रूप में या अन्य किसी प्रकार से बीमा व्यवसाय हेतु निवासी को कोई भुगतान करता है। (जिसमें पॉलिसी के चालू रखने, नवीनीकरण या पुनर्जीवित करना भी शामिल है।) तो उसे TDS कटना होगा।

(2) TDS की दर

ऐसे व्यक्ति को TDS 5% की दर से गैर निगमित निवासी करदाता व भारतीय कम्पनी दोनों से करना होगा।

(3) कटौती का समय

प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट करते समय या भुगतान करते समय (चाहे जिस विधि से), जो पहले हो, TDS कटना होगा।

(4) सीमा रेखा

यदि गतवर्ष में समग्र रूप से क्रेडिट भुगतान की राशि ₹ 15,000 से अधिक हो तो TDS कटना होगा।

3.8 बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में भुगतान (धारा 194-DA) [Payment in respect of life insurance policy (Section 194-DA)]

(1) जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि पर कर काटना

धारा 10(10D) के अन्तर्गत जीवन बीमा पॉलिसी की राशि जिसमें बोनस का आवंटन भी शामिल है, कुछ शर्तों के पूरा होने पर इस धारा में कर मुक्त है।

यदि इस प्रकार प्राप्त राशि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करे तो कर योग्य होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) TDS की दर

जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में लेन–देन की रिर्पोटिंग तथा कर संग्रह के लिए एक उचित तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, जो धारा 10(10D) धारा 194(DA) के तहत करमुक्त नहीं है। जिसमें जीवन बीमा पॉलिसी के तहत एक निवासी को भुगतान की गई राशि पर 1% की दर से कर की छूट जिसमें बोनस के रूप में आबंटित राशि शामिल है, जो कि धारा 10(10D) के तहत करमुक्त नहीं है। हालांकि 1.9.2019 से, इसमें शामिल आय की राशि पर स्रोत पर @5% कर काटा जाना है। यानि कुल प्राप्त राशि से निवासी निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई बीमा प्रीमियम की राशि में कटौती करने के बाद।

(3) सीमा रेखा

यदि एक गतवर्ष में सकल भुगतान की राशि ₹ 1,00,000 या अधिक है तो TDS काटना होगा। यह छोटे करदाताओं के भार को कम करने के लिए है।

उदाहरण (Illustration) 4

निम्न दशाओं में धारा 194DA के अन्तर्गत TDS लागू होने के प्रावधानों की जाँच कीजिए।

(i) *निवासी, श्री X 31.3.2020 को ₹ 4.50 लाख प्राप्त करने हैं, 1.4.2017 को ली गई LIC पॉलिसी की परिपक्वता आय की ओर जिसके लिए बीमित राशि ₹ 4 लाख है और वार्षिक प्रीमियम ₹ 1,25,000 है।*

(ii) *निवासी, श्री Y, 31.3.2012 को ली गई LIC पॉलिसी पर 31.3.2020 पर ₹ 3.25 लाख प्राप्त करने वाले हैं। जिसके लिए बीमित राशि ₹ 3 लाख है और वार्षिक प्रीमियम ₹35,000 है।*

(iii) *निवासी, श्री Z, 1.08.2019 को 1.08.2013 को ली गई* LIC पॉलिसी की परिपक्वता आय की ओर *₹ 95,000 प्राप्त करने वाले हैं, जिसके लिए बीमित राशि ₹ 90,000 है और वार्षिक प्रीमियम ₹12,000 है।*

हल (Solution)

(i) चूंकि वार्षिक प्रीमियम 31.3.2012 के बाद ली गयी पॉलिसी के सम्बन्ध में बीमित राशि का 10% से अधिक है। ₹ 4.5 लाख की परिपक्वता राशि 31.03.2020 को देय है, श्री X के हाथों में धारा 10(10D) के अन्तर्गत छूट नहीं हैं। इसलिए इसमें शामिल होने वाली आय की राशि पर धारा 194DA के तहत @5% की कटौती की जानी आवश्यक है, यानी ₹ 75,000 (₹ 4,50,000 , परिपक्वता आय – ₹ 3,75,000 बीमा प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है)।

(ii) चूंकि वार्षिक प्रीमियम 1.04.2012 से पहले ली गई पॉलिसी के सम्बन्ध में बीमित राशि का का 20% से कम है। ₹ 3.25 लाख की राशि श्री Y को देय उनके हाथों में धारा 10(10D) के तरह छूट दी जाएगी। इसलिए श्री Y को देय राशि पर धारा 194DA के तहत स्रोत पर कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) भले ही वार्षिक प्रीमियम 31.3.2012 के बाद ली गई पॉलिसी के संबंध में बीमित राशि का 10% से अधिक है, इसके परिणामस्वरूप 1.08.2019 को होने वाली ₹ 95,000 की

© The Institute of Chartered Accountants of India

परिपक्वता आय श्री Z के हाथों में 10(10D) के तहत छूट नहीं होगी। धारा 194DA के तहत कर कटौती के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि परिपक्वता आय ₹ 1 लाख से कम है।

3.9 अनिवासी खिलाडियों खेल परिषद् को भुगतान [194E] [Payments to non-resident sportsmen or sports association (Section 194E)]

(1) लागू होना (Applicability)

धारा 115BBA में सन्दर्भित किसी आय के अनिवासी खिलाड़ी (जिसमें एथलीट भी शामिल है) या मनोरंजनकर्ता जो भारत का नागरिक न हो या अनिवासी खेल परिषद् या संस्था को भुगतान पर TDS होगा।

(2) TDS की दर (Rate of TDS)

स्रोत पर कर की कटौती @20.8% भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 20% की TDS दर पर @4% देय होगा, क्योंकि भुगतान गैर–निवासी को किया जाता है।

(3) कर की कटौती का समय (Time of deduction of Tax)

इस तरह की कर कटौती भुगतानकर्ता के खाते में ऐसी आय के क्रेडिट के समय नकद में भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य तरीके द्वारा, जो भी पहले हो, के समय होनी चाहिए।

(4) धारा 115BBA में सन्दर्भित आय (Income referred to in section 115BBA)

(i) अनिवासी खिलाड़ी (जिसमें एथलीट भी शामिल) की प्राप्त या प्राप्य आय निम्न प्रकार :

(a) भारत में किसी खेल या प्रतियोगिता में भाग लेने पर, लेकिन क्रॉसवर्ड पजल्स, घुड़दौड इत्यादि जो 115BB में कर योग्य है। वे इसमें शामिल नहीं, या।

(b) विज्ञापन; या

(c) किसी समाचार–पत्र पत्रिका या जर्नल में खेल या प्रतियोगिता से सम्बन्धित शोध पत्र देना।

(ii) भारत में खेले जाने वाले किसी भी गेम या खेल के सम्बन्ध में अनिवासी खेल संघ या संस्था को दी जाने वाली गारंटी या देय राशि। हालांकि, धारा 115BB के तहत कर योग्य वर्ग–पहेली, घुड़ दौड़ आदि जैसे खेल उसमें शामिल नहीं है।

(iii) अनिवासी मनोरंजनकर्ता द्वारा प्राप्त या प्राप्य आय जो भारत का नागरिक न हो के भारत में प्रदर्शन से प्राप्त हुई हो।

उदाहरण (Illustration) 5

रिकी पोंटिंग, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर द्वारा समाचार–पत्र में लेख लिखने से प्राप्त आय ₹25,000 पर TDS राशि की गणना कीजिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हल (Solution)

धारा 194E के तहत खेल से सम्बन्धी लेख से सम्बन्धित अनिवासी खिलाड़ी को प्राप्त आय पर भारत में 20% TDS होगा। क्योंकि रिकी पोंटिंग एक अनिवासी है। अतः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @ 4% भी कटेगा।

अतः TDS की राशि = ₹ 25,000 × 20.8% = ₹ 5,200

3.10 राष्ट्रीय बचत योजना इत्यादि के अन्तर्गत जमाओं के सम्बन्ध में भुगतान [धारा 194EE] [Payments in respect of deposits under National Savings Scheme etc. (Section 194EE)]

(1) TDS की दर

राष्ट्रीय बचत योजना खाते से किसी व्यक्ति को भुगतान पर 10% कर दर से TDS कटना होगा।

(2) सीमा रेखा

यदि गतवर्ष में कुल राशि ₹ 2,500 से कम हो तो भुगतान पर TDS नहीं कटना होगा।

(3) 194EE अन्तर्गत TDS का लागू न होना

करदाता के उत्तराधिकारी को भुगतान पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

3.11 म्यूचुअल फण्ड या यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिट्स की पुनर्खरीद [194F] [Repurchase of units by Mutual Fund or Unit Trust of India (Section 194F)]

धारा 80CCB (2)[1] अन्तर्गत यूनिट्स की पुनर्खरीद पर किसी व्यक्ति को भुगतान राशि से भुगतान के समय 20% TDS कटना होगा।

3.12 लॉटरी टिकट के विक्रय पर कमीशन (194G) [Commission etc. on the sale of lottery tickets (Section 194G)]

(1) TDS का लागू होना व दर

धारा 194G में किसी भी व्यक्ति को भुगतान कमीशन पारिश्रमिक या इनाम (नाम जो भी हो) से प्राप्त लॉटरी टिकट पर अन्य के ₹ 15,000 से अधिक होने पर 5% TDS कटना होगा।

(2) कटौती का समय

यह कटौती प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट या नकद, चेक, ड्राफ्ट से भुगतान करने पर, जो पहले हो, TDS कटना होगा।

जहाँ ऐसी आय भुगतानकर्ता व्यक्ति के खाते में क्रेडिट होती हो, ऐसी क्रेडिट ही भुगतान का समय मानी जाएगी तथा उसी समय TDS कटना होगा।

---

1 80CCB के अन्तर्गत UTI की अधिसूचित इकाइयों या म्यूचुअल फण्ड द्वारा निवेश के सम्बन्ध में गतवर्ष 1990-1991, 1991-92 के दौरान कटौती उपलब्ध है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3.13 दलाली पर कमीशन (धारा 194H) [Commission or brokerage (Section 194H)]

(1) TDS का लागू होना व दर

कमीशन के रूप में आय के भुगतान के उत्तरदायी व्यक्ति को बीमा कमीशन ने भिन्न निवासी को दलाली के रूप में आय के भुगतान पर 5% की दर से TDS काटना होगा।

लेकिन जिस व्यक्ति या HUF की व्यवसाय या पेशे से कुल बिक्री, सकल प्राप्तियाँ या लेन–देन गत वर्ष ₹ 1 करोड़ या ₹ 50 लाख से अधिक न हो जो धारा 44AB में निर्दिष्ट हैं तो ऐसे व्यक्ति या HUF को TDS नहीं कटना है।

(2) कटौती का समय

प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट या नकद, चेक, बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करते समय जो पहले जो TDS कटना होगा।

जहाँ ऐसी आय अन्य किसी खाते, चाहे उसका जो नाम हो, में क्रेडिट किया गया हो, ऐसे क्रेडिट को ही इस धारा के उद्देश्य के लिए भुगतान माना जाएगा।

(3) सीमा रेखा

यदि वित्त वर्ष के अन्तर्गत ऐसी आय की राशि ₹ 15,000 से अधिक न हो तो TDS कटने की आवश्यकता नहीं है।

(4) कमीशन या दलाली का अर्थ

कमीशन या दलाली ऐसी भुगतान प्राप्ति या प्राप्य शामिल है जो किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के क्रय–विक्रय के दौरान सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में या किसी सम्पत्ति या वस्तु जो प्रतिभूति से भिन्न हो के लेन–देन के सम्बन्ध में हो।

(5) धारा 194H में TDS लागू न होना

(i) पेशेवर सेवाओं पर यह धारा लागू नहीं। पेशेवर सेवाएं वे सेवाएं हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकार पेशे या लेखांकन, तकनीकी या सलाहाकार या आंतरिक सजावट या CBDT द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पेशा जिनके सम्बन्ध में धारा 44AA में लेखा पुस्तकों का रखा जाना अनिवार्य है।

(ii) इसके अतिरिक्त BSNL व MTNL द्वारा अपने फ्रेन्चाइजियों को कमीशन या दलाली के भुगतान पर TDS की अनिवार्यता न होगी।

(6) विज्ञापन प्राप्त करने व उनके प्रचार हेतु टेलीविजन चैनल व प्रकाशकों द्वारा भुगतान में TDS प्रावधानों का लागू होना (परिपत्र सं. 5/2016 दिनांक 29.2.2016)

विज्ञापन व्यवसाय में दो प्रकार के भुगतान होते हैं :

(i) ग्राहक द्वारा विज्ञापन एजेंसी को भुगतान, और

(ii) विज्ञापन एजेंसी द्वारा टेलीविजन चैनलों व समाचार पत्र कम्पनी को भुगतान

© The Institute of Chartered Accountants of India

TDS के लागू होने की बात को पहले ही परिपत्र संख्या 715 दि. 8.8.1995 में किया जा चुका है। जिसमें स्पष्ट किया गया है। प्रश्न सं. 1 व 2 में धारा 194C अन्तर्गत (कार्य अनुबन्ध के रूप में) TDS लागू होगा जबकि दूसरे प्रकार के भुगतानों पर 194C का TDS लागू नहीं होगा। लेकिन एक और मुद्दा कई मामलों में सामने आया है कि क्या विज्ञापन कम्पनियाँ द्वारा मीडिया कम्पनियों से विज्ञापन या प्रचार के लिए फीस या अन्य कोई चार्ज वसूलने पर (बिल का 15%) कमीशन या डिस्काउंट होगा। जिसके सम्बन्ध में 194H के प्रावधान लागू होंगे।

CBDT ने स्पष्ट किया है कि चैनलों व प्रकाशकों द्वारा मीडिया कम्पनियों को विज्ञापन देने या उनका प्रचार करने के लिए भुगतानों पर TDS प्रावधान लागू होंगे। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि CBDT के परिपत्र सं. 715 दि. 8.8.1995 में सन्दर्भित प्रश्न सं. 27 के अनुसार 'कमीशन' मीडिया कम्पनियों द्वारा विज्ञापन कराने के लिए नहीं है बल्कि मॉडल्स, कलाकार, फोटोग्राफर, खिलाड़ी इत्यादियों को लगाने के लिए है न कि इस परिपत्र में सन्दर्भित TDS के लिए प्रासंगिक मामला।

उदाहरण (Illustration) 6

टेलीविजन चैनल मून टीवी ने चैनल द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार टेलीकास्टिंग के कार्यक्रम के उत्पादन के लिए एक प्रोडक्शन हाउस को ₹ 50 लाख का भुगतान किया। कार्यक्रम का कॉपीराइट भी मून टीवी को हस्तांतरित किया जाता है। क्या इस तरह का भुगतान धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा? चर्चा करें।

इसके अलावा, जांच करें कि क्या धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। यदि मून टीवी द्वारा भुगतान प्रोडक्शन हाउस द्वारा पहले से उत्पादित सामग्री के टेलीकास्टिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए किया गया है।

हल (Solution)

इस मामले में, चूंकि कार्यक्रम का उत्पादन मून टीवी एक टेलीविजन चैनल द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया जाता है और कॉपीराइट को टेलीविजन चैनल को हस्तांतरित किया जाता है, वही धारा 194C के तहत इस शब्द की परिभाषा के दायरे में आता है। इसलिए मून टीवी द्वारा प्रोडक्शन हाउस को किए गए ₹ 50 लाख के भुगतान पर धारा 194C के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन होगा।

यदि हालांकि, मून टीवी द्वारा भुगतान प्रोडक्शन हाउस द्वारा पहले से उत्पादित सामग्री के टेलीकास्टिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए किया गया था, जैसा कि धारा 194C(1) में आवश्यक है। "किसी भी काम को करने के लिए अनुबंध नहीं है।" इसलिए इस तरह का भुगतान धारा 194C के तहत स्रोत पर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3.14 किराया (धारा 194-I) [Rent (Section 194-I)]

(1) लागू होना व TDS की दर

कोई भी किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यदि किसी निवासी को किराए की आय का भुगतान करता है तो उसे निम्न दर से कर कटौती करनी होगी—

(i) प्लाण्ट, मशीनरी व उपकरण के किराए पर 2%

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) अन्य भुगतानों की दशा में 10% (किसी भूमि के प्रयोग के बदले फैक्ट्री भवन सहित या भवन से लगती हुई जमीन, फैक्ट्री भवन सहित या फर्नीचर या किराया।)

हालाँकि, व्यक्ति या HUF जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्ति या उसके द्वारा किए गए व्यापार या पेशे से कुल बिक्री ₹ 1 करोड़ तथा ₹ 50 लाख की मुद्रा सीमा है जो धारा 44 AB में विस्तृत की गई है, ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक नहीं है, वह मूल पर कर कटौती के लिए अधीन नहीं होगा।

(2) कटौती का समय

यह कटौती प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट होने या चेक, ड्राफ्ट या नकद या अन्य किसी विधि द्वारा भुगतान जो पहले होने पर करनी होगी।

यदि ऐसी आय किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में क्रेडिट होनी हैं जो इसकी भुगतान के लिए उत्तरदायी है तो ऐसे व्यक्ति के खाते में क्रेडिट होना ही भुगतान माना जाएगा तथा TDS के प्रावधान लागू होंगे।

(3) सीमा रेखा

ऐसी कटौती की आवश्यकता नहीं है, जहां इस तरह की आय या ऐसी आय की राशि का कुल जमा या भुगतान किया गया हो या भुगतान करने की सम्भावना हो या वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता के खाते में भुगतान ₹ 2,40,000 से अधिक न हो।

(4) किराए का अर्थ

किराए का आशय है कोई भी भुगतान चाहे जिस नाम से हो जो किसी पट्टे, उप–पट्टे या किराए के किसी अन्य समझौते या व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है। चाहे अलग या एक साथ—

(a) जमीन, या

(b) भवन (जिसमें कारखाना भवन सम्मिलित है); या

(c) किसी भवन के साथ की जमीन (कारखाना भवन सहित); या

(d) मशीनरी; या

(e) प्लाण्ट; या

(f) उपकरण; या

(g) फर्नीचर; या

(h) फिटिंग्स, चाहे इनमें से कोई या सभी प्राप्तकर्ता के स्वामित्व में हों या नहीं।

(5) ग्राहकों द्वारा शीतगृह स्वामियों को कूलिंग चार्जेज के भुगतान पर धारा 194-I अन्तर्गत

ग्राहकों द्वारा शीतगृह स्वामियों को कूलिंग चार्जेज के भुगतान के सम्बन्ध में 194-I के प्रावधानों के लागू होने का स्पष्टीकरण CBDT के परिपत्र सं. 1/2008 दि. 10.01.2008 में दिया गया है। शीतगृह का मुख्य कार्य मशीनी प्रक्रिया से नाशवान वस्तुओं को खराब होने से बचाना है। ग्राहक को भी कोई विशेष स्थान अपनी वस्तु को रखने हेतु नहीं दिया जाता

© The Institute of Chartered Accountants of India

तथा वह किराएदार नहीं बनता। अतः कोल्ड स्टोरेज के ग्राहकों द्वारा भुगतान पर 194-I के प्रावधान लागू नहीं होते।

फिर भी कोल्ड स्टोरेज स्वामी व ग्राहकों का सम्बन्ध अनुबन्ध पर आधारित है, अतः ऐसी राशि के भुगतान के सम्बन्ध में धारा 194-C के प्रावधान लागू होंगे।

(6) किसी हवाई अड्डे के संचालक को एयरलाइन द्वारा यात्री सेवा शुल्क (PSF) के प्रेषण पर धारा 194-I के तहत स्रोत पर कर कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। [परिपत्र संख्या 21/2017 दिनांक 12.6.2017] [No requirement to deduct tax at source under section 194-I on remittance of Passenger Service Fees (PSF) by an Airline to an Airport Operator [Circular No. 21/2017, dated 12.06.2017]

धारा 194-I में किराये के माध्यम से किसी निवासी को देय किसी भी आय पर निर्दिष्ट प्रतिशत पर स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता है। इस खण्ड का स्पष्टीकरण किसी भी (a) भूमि, या (b) भवन, या (c) एक भवन की आश्रित भूमि या (d) मशीनें, (e) संयंत्र (f) उपकरण (g) फर्नीचर या (h) फिटिंग के उपयोग के लिये किसी भी पट्टे, उप पट्टे, किरायेदारी या किसी अन्य समझौते के तहत, "किराया" शब्द को किसी भी भुगतान के रूप में परिभाषित करता है चाहे उनमें से कोई भी या सभी भुगतान प्राप्तकर्त्ता द्वारा स्वामित्त्व में हो या न हों। किराये के रूप में योग्य ठहरने के लिये किसी भी भुगतान की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि भुगतान भूमि और भवन के उपयोग के लिये होना चाहिये तथा अन्य सुविधाओं या सेवा प्रदान करते समय उसी के आकस्मिक/मामूली/महत्त्वहीन उपयोग से यह भूमि और भवनों के उपयोग के लिये भुगतान नहीं करेगा ताकि धारा 194-I को आकर्षित किया जा सके।

तदानुसार, CBDT ने परिपत्र जारी किया, प्रमाणित किया कि हवाई अड्डे के संचालक को एयरलाइन द्वारा PSF के भुगतान पर धारा 194-I के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(7) किराये की आय के सेवा कर घटक के लिये धारा 194-I के तहत TDS प्रावधानों की प्रयोज्यता (Applicability of TDS provisions under section 194-I to service tax component of rental income)

CBDT परिपत्र संख्या 4/2008 दिनांक 28.04.2008, धारा 194-I के तहत किराये की आय के सेवा कर घटक पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) पर स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

194-I के प्रावधानों के अनुसार, निवासी को किराये के भुगतान से आय पर स्रोत पर कर कटौती योग्य होगा। आगे, किराये का अर्थ 194-I में परिभाषित किया गया है; किसी भी नाम से, पट्टे, उप–पट्टे, किरायेदारी या किसी अन्य समझौते या व्यवस्था के तहत निम्न के उपयोग (चाहे अलग से या साथ में) पर कोई भी भुगतान

(a) भूमि; या

(b) भवन; (कारखाने के भवन सहित) ; या

(c) भवन आश्रित भूमि (कारखाने के भवन सहित)

(d) मशीनें ; या

(e) संयंत्र; या

© The Institute of Chartered Accountants of India

(f) उपकरण; या

(g) फर्नीचर; या

(h) फिटिंग;

चाहे इनमें से कोई भी या सभी भुगतानकर्ता द्वारा स्वामित्व में हों या ना हों।

किरायेदार द्वारा सेवा कर का भुगतान मकान मालिक की आय की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। मकान मालिक केवल सेवा कर के संग्रह के लिये सरकार के लिये एक संग्रह एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसलिये, धारा 194-I के तहत भुगतान किये गये किराये/देय की राशि पर सेवा कर सहित स्रोत पर कटौती को करना होगा।

नोट : यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस तरह की लाइनों पर किराये की आय के GST घटक की धारा 194-I के तहत TDS प्रावधानों की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया जाना है। इस तरह के आगामी स्पष्टीकरण, यह सम्भव है कि परिपत्र संख्या 4/2008 में दिया गया स्पष्टीकरण GST व्यवस्था में भी लागू होगा।

निवासी के लिए भुगतान में निहित माल और सेवा कर (GST) के घटकों पर TDS के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 23/2017 दिनांक 19.07.2017]

CBDT परिपत्र संख्या. 1/2014 दिनांक 13/01/2014 द्वारा स्पष्ट करता है कि जहाँ भुगतानकर्ता या भुगतान प्राप्तकर्ता के मध्य अनुबंध या समझौते की शर्तों में निवासी को देय भुगतान में सेवा कर के घटक अलग से निहित होते हैं तो कर उस सेवा कर के घटकों को शामिल किये बिना भुगतान की गयी या देय राशि पर स्रोत पर कटौती होगी। 1.07.2017 के प्रभाव के साथ GST व्यवस्था के साथ सेवा के कर के लिए नयी प्रणाली के साथ समान व्यवहार सुंसंगित करने के लिए, CBDT इस परिपत्र द्वारा स्पष्ट करती है कि जहाँ भुगतानकर्ता या भुगतानप्राप्तकर्ता के मध्य अनुबंध या समझौते की शर्तो में निवासी को देय राशि में "सेवा पर GST" के घटक निहित होते हैं तो "सेवा पर GST" के घटकों को शामिल किये बिना देय या भुगतान की गयी राशि पर स्रोत पर कर की कटौती होगी।

GST में एकीकृत माल और सेवा कर, केन्द्रीय माल और सेवा कर, राज्य माल और सेवा कर और केन्द्रशासित प्रदेश माल और सेवा कर सम्मिलित होगा।

आगे, इस परिपत्र के उद्देश्य के लिए, निहित समझौते या अनुबंध या "सेवा कर" के संदर्भ में, जो कि 01.07.2017 से पूर्व प्रवेश किया जाता है, उस अनुबंध या समझौते की समाप्ति तक 01.07.2017 से अवधि के सम्बन्ध में "सेवा पर GST" की तरह माना जाएगा।

(8) लंबी अवधि के लिये पट्टे के अधिग्रहण के लिये भुगतान किये गये एकमुश्त पट्टा प्रीमियम पर धारा 194-I के TDS प्रावधानों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 35/2016 दिनांक 13-10-2016] (Clarification on applicability of TDS provisions of section 194-I on lumpsum lease premium paid for acquisition of long term lease [Circular No. 35/2016, dated 13-10-2016])

"एकमुश्त लीज प्रीमियम" या "एक बार अग्रिम पट्टा शुल्क" पर लागू धारा 194-I के तहत TDS के तहत भूमि या अन्य सम्पत्ति के लिये दीर्घकालीन पट्टादारी अधिकारों को हासिल

© The Institute of Chartered Accountants of India

करने के लिये कर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है या CBDT द्वारा अन्य सम्पत्ति की जांच की गई है।

तद्नुसार, CBDT इस परिपत्र द्वारा स्पष्ट करता है कि एकमुस्त पट्टा प्रीमियम या एक बार अग्रिम पट्टा शुल्क, जो कि सावधिक किराये के अधीन समायोजित नहीं होता है, भूमि पर दीर्घकालीन पट्टादारी अधिकारों या किसी अन्य सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये देय या किये गये भुगतान धारा 194-I के अर्थ में किराये की प्रकृति के भुगतान नहीं होते हैं। इसलिये ऐसे भुगतान धारा 194-I के तहत TDS के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

3.15. कृषि भूमि के अलावा कुछ अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर भुगतान [धारा 194-IA] Payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land [194-IA]

(1) प्रयोज्यता और दर (Applicability and Rate)

निवासी को अचल सम्पत्ति (भूमि, कृषि भूमि के अलावा, या भवन या भवन का कोई भाग) के हस्तान्तरण के लिये प्रतिफल के रूप में किसी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार प्रत्येक हस्तान्तरी उस राशि का **1%** की दर पर कर कटौती करेगा।

(2) कटौती का समय (Time of deduction)

कटौती निवासी हस्तान्तरणकर्ता के खाते के उस राशि के जमा के समय पर या निवासी हस्तान्तरणकर्ता के उस राशि के भुगतान के समय पर, जो भी पहले आए, उसी समय होती है।

(3) समय सीमा (Threshold limit)

स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं होती जहाँ अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए प्रतिफल की कुल राशि **₹ 50 लाख** से कम होती है।

(4) धारा 194-IA के तहत TDS की अप्रयोज्यता (Non-applicability of TDS under section 194-IA)

चूँकि अचल सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए स्रोत पर कर कटौती धारा 194LA के तहत कवर होती है, ऐसे मामले में धारा 194-IA के प्रावधान हस्तान्तरी के लिए आकर्षित नहीं होंगे।

(5) TAN लेने की कोई आवश्यकता नहीं (No Requirement to obtain TAN)

कर कटौती खाता संख्या (TAN) प्राप्त करने की आवश्यकता वाले धारा 203A के प्रावधान धारा 194-IA के प्रावधान के अनुसार कर कटौती के लिए आवश्यक व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगी।

(6) अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल का अर्थ (Meaning of consideration for transfer of immovable property) :

अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल में क्लब सदस्यता शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, बिजली सुविधा शुल्क, रखरखाव शुल्क, अग्रिम शुल्क या किसी अन्य अभियोजक के समान प्रकृति के शुल्क शामिल हैं, जो अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए आकस्मिक हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

केन्द्र सरकार के क्रेडिट पर धारा 194-IA के तहत काटे गए कर के भुगतान का समय और तरीका, चालान सह विवरण प्रस्तुत करना और प्रमाण पत्र लगाना [नियम 30, 31A & 31]

(i) धारा 194IA के तहत कटौती की गई राशि का भुगतान केन्द्र सरकार को उस महीने के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। जिससे कटौती की गई है और फॉर्म संख्या 26QB में चालान–सह विवरण के साथ होगा [नियम 30]

(ii) कटौती की गई राशि को आरबीआई, एसबीआई या किसी अधिकृत बैंक में उपर्युक्त सीमा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा केन्द्र सरकार के क्रेडिट में जमा किया जाएगा। (नियम 30)

(iii) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 194IA के तहत कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है। वह DGIT (सिस्टम) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को महीने के अंत में 30 दिनों के भीतर जिसे कटौती की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म संख्या 26QB में एक चालान सह विवरण प्रस्तुत करेगा।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 194IA के तहत कर की कटौती के उत्तरदायी है। वह DGIT (सिस्टम) द्वारा निर्धारित वेब पोर्टल से या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाउनलोड या डाउनलोड करने के बाद नियम 31A के तहत फॉर्म संख्या 26QB में चालान सह विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान कर्ता को फॉर्म संख्या 16B में TDS प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा [नियम 31]

उदाहरण (Illustration) 7

X ने मकान सम्पत्ति (बेंगलुरू) व ग्रामीण कृषि भूमि को क्रमशः ₹ 60 लाख व ₹ 15 लाख में Y को 1.8.2019 को बेचा। उसने मकान व ग्रामीण कृषि भूमि को वर्ष 2018 में क्रमशः ₹ 40 लाख व ₹ 10 लाख में खरीदा था। हस्तांतरण की तिथि को मकान व ग्रामीण कृषि भूमि की स्टाम्प ड्यूटी मूल्य 1.8.2019 को क्रमशः ₹ 85 लाख व ₹ 20 लाख थी। X व Y के नाम में कर व TDS प्रभावों का निर्धारण कीजिए यह मानते हुए कि X व Y दोनों भारत में निवासी हैं।

हल (Solution)

(i)	**X के नाम में कर देयता**
	धारा 50C के अनुसार मकान का स्टाम्प ड्यूटी मूल्य (₹ 85 लाख) को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। अतः ₹ 85 लाख ₹ 40 लाख = ₹ 45 लाख पूंजी लाभ के रूप में A.Y. 2020-21 में कर योग्य होंगे। क्योंकि ग्रामीण कृषि भूमि पूँजी सम्पत्ति नहीं है अतः उस पर उदित लाभ करयोग्य नहीं होगा।
(ii)	**Y का कर दायित्व**
	अचल सम्पत्ति पर अपर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होने पर स्टाम्प मूल्य व वास्तविक प्रतिफल का अन्तर कर योग्य होगा। यदि अन्तर ₹ 50,000 या 5% प्रतिफल का से अधिक हो [धारा 56(2) (X)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

	इस मामले में ₹ 85 लाख – ₹ 60 लाख = ₹ 25 लाख Y के नाम में करयोग्य होंगे [धारा 56(2) (X)] क्योंकि कृषि भूमि पूँजी सम्पत्ति नहीं है अतः धारा 56(2) (X) के प्रावधान अपर्याप्त प्रतिफल में बेचने के प्रावधान लागू न होंगे, क्योंकि धारा 56(2) (X) में सम्पत्ति में केवल पूँजी सम्पत्ति ही शामिल है।
(iii)	**Y से TDS का होना**
	क्योंकि विक्रय प्रतिफल ₹ 50 लाख से अधिक है, Y को धारा 194-IA में TDS करना होगा। TDS राशि ₹ 60 लाख का 1% अर्थात् ₹ 60,000 होगी। ग्रामीण कृषि भूमि के स्थानान्तरण पर धारा 194 IA TDS प्रावधान लागू नहीं होंगे।

3.16 निश्चित व्यक्तियों / HUF द्वारा किराये का भुगतान (धारा 194-IB) [Payment of rent by certain individuals or Hindu undivided family (Section 194-IB)]

(1) TDS की दर

धारा 194-IB के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या HUF जिसकी व्यवसाय या पेशे की कुल बिक्री सकल प्राप्तियाँ या लेन–देन धारा 44AB में क्रमशः निर्दिष्ट ₹ 1 करोड़ व ₹ 50 लाख से अधिक हैं तो किसी निवासी को किराये के रूप में भुगतान आय से 5% की दर से TDS काटना होगा।

(2) सीमा रेखा

इस धारा के अन्तर्गत TDS तभी होगा जब गत वर्ष में एक महीने या उसके भाग के किराए की राशि ₹ 50,000 से अधिक हो।

(3) कटौती का समय

TDS ऐसे किराए की क्रेडिट के समय गतवर्ष के अन्तिम माह में या यदि गत वर्ष में सम्पत्ति यदि खाली है तो किराएदारी के अन्तिम महीने में प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट होने के समय या नकद, चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी विधि से भुगतान के समय जो पहले हो।

(4) TAN की आवश्यकता नहीं

कर कटौती खाता संख्या (TAN) प्राप्त करने की आवश्यकता वाले खण्ड 203A के प्रावधान धारा 194-IB के प्रावधानों के अनुसार कर में कटौती करने के लिए आवश्यक व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

(5) किराए का अर्थ

किराए का अर्थ है कोई भी भुगतान, नाम जो भी हो जो किसी पट्टे, उप–पट्टे, किराएदारी अनुबन्ध या व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए हो।

(6) कटौती अन्तिम महीने के किराये से अधिक नहीं होगी

धारा 206AA में कटौतीकर्ता को PAN उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा कटौती ऊँची दर से होगी (अर्थात् धारा में लागू दर व 20% जो अधिक हो)। 206AA में TDS गतवर्ष के अन्तिम महीने का किराया या किराएदारी के अन्तिम महीने के किराये से अधिक न होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 8

X.Y को जून, 2019 से ₹ 55,000 मासिक किराया देता है। क्या उसे TDS करना होगा? यदि हाँ तो कब? TDS की राशि की भी गणना कीजिए।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि X भवन को 31 दिसम्बर, 2019 में खाली करे? यदि Y उसे PAN उपलब्ध न कराए तो क्या होगा?

साथ ही, यदि श्री Y, श्री X को अपना PAN प्रदान नहीं करता है तो, आपका क्या उत्तर होगा?

हल (Solution)

किराया क्योंकि ₹ 50 हजार प्रतिमाह से अधिक है अतः धारा 194-IB में वित्त वर्ष 2019-20 में 5% की दर से TDS होगा। अतः मार्च, 2019 माह में TDS ₹ 27,500 (₹ 55,000 × 5% × 10) होगा। यदि X भवन को दिसम्बर 2019 में खाली करता है। तब TDS ₹ 19,250 (₹ 55,000 × 5% × 7) करना होगा।

यदि श्री X ने दिसम्बर 2019 में परिसर को खाली कर दिया तो ₹ 19,250 [₹ 55,000 × 5% × 7] का कर दिसम्बर 2019 के लिए देय किराए से काटा जाना चाहिए।

यदि, श्री Y, श्री X को अपना PAN प्रदान नहीं करता है तो, कर 5% की जगह @ 20% कटौती योग्य है।

पहली दशा में TDS ₹ 1,10,000 (₹ 55,000 × 20% × 10) होगा, लेकिन मार्च माह का किराया ₹ 55,000 होने के कारण TDS ₹ 55,000 ही होगा।

दूसरी दशा में ₹ 77,000 (₹ 55,000 × 20% × 7) लेकिन दिसम्बर 2018 माह का किराया ₹ 55,000 होने के कारण TDS ₹ 55,000 होगा।

3.17 निर्दिष्ट समझौते के तहत भुगतान (धारा 194-IC) [Payment under specified agreement (Section 194-IC)]

(1) लागू होना व दर

इस धारा में प्रतिफल के रूप में जो वस्तु में न हो, भुगतान किसी निवासी को करने वाले व्यक्ति पर किसी निर्दिष्ट समझौते में धारा 45 (5A) के अन्तर्गत 10% की दर से TDS करने का उत्तरदायित्व डाला गया है।

(2) कटौती का समय

इस कटौती को प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट करते समय या नकद, चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी विधि से भुगतान के समय करना होगा। जो पहले हो।

(3) धारा 194-IA का लागू न होना

क्योंकि निर्दिष्ट समझौते के तहत TDS जो धारा 45 (5A) में होना है, धारा 194-IC के क्षेत्र में आता है, अतः इन मामलों में हस्तांतरिती के नाम में 194-IA के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(4) निर्दिष्ट समझौते का अर्थ

धारा 45(5A) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समझौते का अर्थ है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

— इसका अर्थ है एक पंजीकृत समझौता। जिसमें भूमि या भवन का स्वामी या दोनों का स्वामी अन्य किसी व्यक्तियों को अपने भूमि, भवन या दोनों में ही वास्तविक सम्पत्ति की परियोजना विकसित करने हेतु सहमत होता है।

— इसका प्रतिफल भूमि या भवन या आंशिक तौर पर दोनों ही हो सकता है, या आंशिक तौर पर नकद में हो सकते हैं।

3.18 पेशेवर या तकनीकी सेवाओं की फीस (धारा 194J) [Fees for professional or Technical Services (Section 194J)]

(1) लागू होना व TDS की दर

प्रत्येक व्यक्ति जो किसी निवासी को कोई राशि निम्न तरीके के से भुगतान के लिए उत्तरदायी हो—

(i) पेशेवर सेवाओं की फीस; या

(ii) तकनीकी सेवाओं की फीस; या

(iii) कोई पारिश्रमिक, फीस या कमीशन, चाहे जिस नाम से हो,उससे भिन्न जिस पर धारा 192 में कर कटौती योग्य है, किसी कम्पनी के निदेशक को; या

(iv) अधिकार शुल्क; या

(v) धारा 28(va) में वर्णित

पर 10% की दर से TDS कटेगा।

केवल कॉल सेंटर के व्यवसाय में कार्यरत प्राप्तकर्ता की दशा में TDS 2% की दर से होगा।

(2) कटौती का समय

प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट करते समय अन्य किसी विधि से भुगतान करते समय, जो पहले हो।

जहाँ पेशेवर या तकनीकी फीस को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते में क्रेडिट किया जाता हो तो ऐसी क्रेडिट ही भुगतान का समय मानकर TDS कटना होगा।

(3) देहली सीमा

कटौती की आवश्यकता नहीं होगी यदि शुल्क राशि या शुल्क की कुल राशि जो जमा या भुगतान की गई हो या जमा या भुगतान होने वाली हो वित्तीय वर्ष में वह ₹ 30,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए पेशे की सेवा, तकनीकी सेवा, राजस्व तथा गैर–प्रतिस्पर्धा शुल्क की स्थिति में।

धारा 194 J में दी गई ₹ 30,000 कर सीमा पेशा सेवा शुल्क तकनीकी सेवा शुल्क, राजस्व तथा गैर–प्रतिस्पर्धा शुल्क जो धारा 28 (va) में दिए गए हैं, अलग–अलग लागू होगी। यह दर्शाता है कि यदि उपर्युक्त दिए गए प्रत्येक शुल्क यदि व्यक्ति द्वारा ₹ 30,000 से कम भुगतान पर किए गए हैं, तब मूल पर कर की कटौती की आवश्यकता नहीं होगी यद्यपि भुगतान या जमा का कुल ₹ 30,000 से अधिक हो। हालाँकि कर कटौती की छूट सीमा कम्पनी के प्रबंधन को देय वेतन, या शुल्क या कमीशन पर नहीं मिलेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 9

XYZ ने गणेश को 2.8.2019 को पेशेवर सेवाओं के लिए ₹ 28,000 तथा उसी दिनांक को ₹ 25,000 तकनीकी सेवाओं की फीस का भुगतान किया। क्या धारा 194J के TDS प्रावधान लागू होंगे?

हल (Solution)

धारा 194J के TDS प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि पेशेवर व तकनीकी फीस की छूट सीमा ₹ 30,000 अलग–अलग हैं। यह माना गया है कि गत वर्ष 2019-20 में इन सेवाओं के अन्तर्गत अन्य कोई भुगतान नहीं है।

(4) धारा 194 J के भीतर TDS की गैर प्रयोज्यता (Non-applicability of TDS under section 194 J)

(i) एक व्यक्ति और एक हिन्दू अभिवाजित परिवार स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है।

हालांकि, व्यक्ति या HUF जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्ति या उसके द्वारा किए गए व्यापार या पेशे से कुल बिक्री उपर्युक्त मुद्रा सीमा धारा 44AB के अन्तर्गत दी हुई से ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक है, वह पेशा सेवा शुल्क या तकनीकी सेवा शुल्क जमा या भुगतान की हुई पर कर की कटौती करेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, व्यक्ति या HUF पेशा सेवा के लिए दिए गए शुल्क के रूप में दी गई राशि पर आयकर की कटौती के लिए अधीन नहीं होगा यदि वह राशि पूर्णतः व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमा या भुगतान की गई हो।

(5) पेशेवर सेवाओं का अर्थ

पेशेवर सेवाओं का तात्पर्य उन सेवाओं से है जो किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकार पेशा या लेखांकन या तकनीकी सलाहकार या आन्तरिक सजावट या CBDT द्वारा अधिसूचित अन्य किसी उद्देश्य से प्रदत्त सेवाओं के दौरान प्रदान करता है। [धारा 44AA]

धारा 44AA के उद्देश्य से अधिसूचित अन्य पेशे निम्न हैं :

(a) 'अधिकृत प्रतिनिधि' का पेशा;

(b) 'फिल्म कलाकार' का पेशा;

(c) कम्पनी 'सचिव' का पेशा

धारा 194J के उद्देश्य से CBDT द्वारा खेल क्रियाओं को पेशेवर सेवाएं अधिसूचित की हैं :

(a) खिलाड़ी

(b) अम्पायर व रैफ्री

(c) टीम फिजीशियन व फिजियोथिरेपिस्ट

(d) कार्यक्रम प्रबन्धक

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) कमेंटेटरर्स

(f) एंकर्स और

(g) खेल लेखक

(h) स्पोटर्स कमेंटर

तद्नुसार इन सभी पेशेवर सेवाओं के सम्बन्ध में TDS लागू होगा पेशा अति विस्तृत महत्व का शब्द है। फिर भी पेशे को इस धारा में अलग से परिभाषित किया है। TDS के उद्देश्य हेतु अन्य सभी पेशे 194J के क्षेत्र से बाहर होंगे। उदाहरण के लिए यह धारा शिक्षण पेंटिंग व भित्ति चित्रण में लागू नहीं होगी जब तक कि उन्हें अधिसूचित न किया हो।

(6) तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का अर्थ

'तकनीकी सेवाओं के लिए फीस' का अर्थ है, निम्न में से किसी सेवा के लिए प्रतिफल एक मुश्त प्रतिफल को शामिल करते हुए :

(i) प्रबन्धकीय सेवाएं;

(ii) तकनीकी सेवाएं;

(iii) सलाहकारी सेवाएं;

(iv) तकनीकी या अन्य कोई कर्मचारी उपलब्ध कराना

निम्न प्रकार की सेवाओं का प्रतिफल तकनीकी सेवाओं की फीस में शामिल नहीं होगी—

(i) किसी निर्माण, असेम्बली, खनन या इसी प्रकार कोई प्रोजेक्ट, या

(ii) वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य प्रतिफल।

(7) धारा 194J के अन्तर्गत बीमा कम्पनी की ओर से हॉस्पीटल को भुगतान पर TPAs का TDS का दायित्व

CBDT ने परिपत्र सं. 8/2009 के 24.11.2009 में स्पष्ट किया है कि TPAs जो बीमा कम्पनी की ओर से हॉस्पीटल को चिकित्सा/बीमा दावों का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान करते हैं। जिसमें कैशलैस योजना भी शामिल है, धारा 194J के अन्तर्गत सभी भुगतानों पर TDS करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसका कारण है कि हॉस्पीटल द्वारा विभिन्न रोगियों को प्रदत्त सेवाएं चिकित्सा सेवाएं हैं। अतः धारा 194J के प्रावधान TPAs द्वारा किए गए भुगतानों पर लागू होते हैं।

(8) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के अधिकार के प्रयोग हेतु प्रतिफल धारा 9(1)(VI) के अर्थों में अधिकार शुल्क है।

धारा 9(1) (VI) के अनुसार, अधिकार शुल्क के रूप में किसी अधिकार, सम्पत्ति या सूचना के सम्बन्ध में भुगतान योग्य आय को भारत में उपार्जित या उदित माना गया है। अधिकार शुल्क शब्द का तात्पर्य है किसी अधिकतर, सम्पत्ति या सूचना के हस्तांतरण का प्रतिफल।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को उपयोग या उपयोग करने के अधिकार का प्रतिफल राजस्व कहलाता है यह स्पष्ट करते हुए अधिकार, सम्पत्ति या जानकारी से संबंधित सभी या कुछ

© The Institute of Chartered Accountants of India

अधिकारों के समर्पण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को उपयोग या उपयोग करने के अधिकार सम्मिलित हैं तथा हमेशा से सम्मिलित होते थे अधिकार के समर्पण के माध्यम पर ध्यान दिए बिना।

परिणामस्वरूप, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने के अधिकार के सम्बन्ध में TDS के प्रावधान धारा 194J के तहत लागू होंगे क्योंकि यह अधिकार शुल्क की परिभाषा में आता है।

नोट : केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 21/2012 के द्वारा जो 13.6.12 दिनांक को जारी हुआ था, के द्वारा 1.7.2012 से कुछ सॉफ्टवेयर भुगतानों को धारा 194J के तहत TDS से मुक्त किया है। तद्नुसार जहाँ हस्तांतरिती द्वारा भुगतान निवासी हस्तांतरक को किया गया हो, धारा 194J के प्रावधान लागू न होंगे यदि—

(1) सॉफ्टवेयर का क्रय हस्तांतरक द्वारा बिना किसी परिवर्तन के बाद किया गया हो;

(2) ऐसे सॉफ्टवेयर के पूर्व के हस्तांतरण पर धारा 194J में पहले ही TDS कर लिया गया हो।

(3) हस्तांतरिती ने हस्तांतरक से PAN के साथ TDS होने की घोषणा प्राप्त कर ली हो।

3.19 किसी अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का भुगतान (धारा 194LA) [Payment of compensation on acquisition of certain immovable property (Section 194LA)]

(1) लागू होना

धारा 194LA में किसी व्यक्ति द्वारा अन्य निवासी व्यक्ति को निम्न प्रकृति की किसी राशि का भुगतान करने पर TDS का प्रावधान है :

(i) क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति या

(ii) प्रतिफल या बढ़ा हुआ प्रतिफल

किसी प्रचलित कानून के तहत अचल सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण (कृषि भूमि से भिन्न)

अचल सम्पत्ति से तात्पर्य कोई जमीन (कृषि भूमि से भिन्न) या अन्य कोई भवन या भवन का हिस्सा है।

(2) TDS की दर

ऊपर वर्णित (1) में राशि के 10% की दर से TDS कटना होगा।

(3) कटौती का समय

ऐसी राशि के भुगतान के समय या चेक, नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान के समय, जो पहले हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) सीमा रेखा

यदि किसी गतवर्ष में ऐसे भुगतानों की सकल राशि किसी निवासी को किए भुगतान के सम्बन्ध में ₹ 2,50,000 से अधिक न हो तो TDS नहीं होगा।

3.20 काम के लिए अनुबंध या पेशेवर सेवाओं या कमीशन या दलाली के लिए फीस के माध्यम से एचयूएफ या व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान (धारा 194M) [Payment made by an individual or a HUF for contract work or by way of fees for professional services or commission or brokerage (Section 194M)]

(1) प्रयोज्यता और TDS की दर

(i) धारा 194M, 1.09.2019 से प्रभावी, किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए व्यक्ति या HUF द्वारा 5% पर कर की कटौती का प्रावधान है :

(ii) किसी भी काम को करने के लिए अनुबंध के अनुसरण में (किसी भी काम को पूरा करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) या।

(iii) पेशेवर सेवाओं की फीस के माध्यम से।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल व्यक्तियों व HUF (उन लोगों के अलावा, जिन्हें धारा 194C या धारा 194-H या धारा 194-J के प्रावधानों के अनुसार आयकर में कटौती करने की आवश्यकता है) वित्तीय वर्ष के दौरान एक निवासी को देय उपर्युक्त रकम के संबंध में कर में कटौती करना आवश्यक है।

(2) कटौती का समय

ऐसी राशि के भुगतान के समय या क्रेडिट (जमा) के समय, जो भी पहले हो, कर की कटौती की जाएगी।

(3) सीमा रेखा

एक निवासी को वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान या जमा की गई एक मुश्त राशि, जैसा भी मामला हो, ₹ 50,00,000 से अधिक नहीं है, तो उस पर कटौती नहीं की जाएगी।

(4) धारा 194M के अन्तर्गत गैर प्रयोज्यता

धारा 194M के अन्तर्गत एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार कर में कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि :

(i) किसी काम को करने के लिए अनुबंध के अनुसरण में (किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति या एक HUF, जो धारा 44(a)/(b) के तहत लेखा परीक्षा के अधीन है, तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में और ऐसी राशि विशेष रूप से एक व्यक्ति या HUF के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भुगतान नहीं की जाती है। उस पर धारा 194C के अधीन कर की कटौती किया जाना आवश्यक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) वे कमीशन या दलाली पर धारा 194H के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए आवश्यक हैं (धारा 194D के अन्तर्गत निर्दिष्ट बीमा कमीशन न होकर) अर्थात् एक व्यक्ति या HUF जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्ति या कारोबार या पेशे से कारोबार द्वारा किया जाता है : क्रमश : ₹ 1 करोड़ और ₹ 50 लाख की मौद्रिक सीमा से अधिक धारा 44AB के तहत वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले निर्दिष्ट की गई।

(iii) वे पेशेवर सेवाओं के लिए फीस पर धारा 194J के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती के लिए आवश्यक है अर्थात् एक व्यक्ति या HUF जिसकी कुछ बिक्री सकल प्राप्ति या कुल बिक्री व्यवसाय या पेशे जो कि उनके द्वारा चलाए जाते हैं। क्रमशः ₹ 1 करोड़ और ₹ 50 लाख की मौद्रिक सीमा से अधिक है। धारा 44AB के तहत वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले निर्दिष्ट की गई और ऐसी राशि ऐसे व्यक्ति या HUF के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए जमा या भुगतान नहीं किए गए हैं।

(5) टैन प्राप्त करने की आवश्यकता न होना

धारा 203A के प्रावधान जिसमें कर कटौती खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने की आवश्यकता है, धारा 194M के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती करने के लिए आवश्यक व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।

नोट : शब्द "कार्य", "व्यावसायिक सेवाओं" और "कमीशन या दलाली" के अर्थ के लिए उप–शीर्षक 3.6 ठेकेदारों और उपठेकेदारों को भुगतान (धारा 194C)" "3.18 पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क [धारा 194J] और 3.13 कमीशन या दलाली [धारा 194H] क्रमश;

उदाहरण (Illustration) 10

जांच करें कि क्या निम्नलिखित मामलों में टीडीएस प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा, और यदि ऐसा है कि किस धारा के तहत/प्रत्येक मामले में लागू टीडीएस की दर भी निर्दिष्ट करें। मानलें कि सभी भुगतान निवासियों को किए जाते हैं।

	दाताओं के विवरण	**भुगतान की प्रकृति**	**वित्त वर्ष 2019-20 में किए गए भुगतान का कुल योग**
1.	श्री गणेश, एक व्यक्ति जो पी वाई 2018-19 में ₹ 2.5 करोड़ की बिक्री के साथ खुदरा व्यापार पर कारोबार करता है।	आवासीय घर की मरम्मत के लिए अनुबंध भुगतान	₹ 5 लाख
		व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए श्री वलीश को कमीशन का भुगतान	₹ 80,000
2.	श्री राजेश एक थोक व्यापारी जो पीवाई 2018-19 और पीवाई 2019-20 के लिए धारा 44AD के अन्तर्गत लाभ की घोषणा करता है।	पुनर्निर्माण आवासीय घर (जनवरी – मार्च 2020 अवधि के दौरान बना) के लिए अनुबंध भुगतान	जनवरी 2020 में ₹ 20 लाख फरवरी 2020 में ₹ 15 लाख और मार्च 2020 में ₹ 20 लाख
3.	श्री सतीश, एक वेतनभोगी व्यक्ति	मार्च 2020 में एक आवासीय घर खरीदने के लिए दलाली	₹ 51 लाख

© The Institute of Chartered Accountants of India

4.	श्री धीरज, एक पेंशन भोगी	आवासीय घर के पुनर्निर्माण के लिए अक्टूबर–नवंबर 2019 में अनुबधन भुगतान	₹ 48 लाख

हल (Solution)

	दाताओं के विवरण	भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2019-20 में किए गए भुगतान का कुल योग	क्या टीडीएस प्रावधानों को आकर्षित किया जाता है?
1.	श्री गणेश एक व्यक्ति जो पीवाई 2018-19 में ₹ 2.5 करोड़ की बिक्री के साथ खुदरा व्यापार पर कारोबार करता है।	आवासीय घर की मरम्मत के लिए अनुबंध भुगतान	₹ 5 लाख	नहीं, टीडीएस धारा 194C के तहत आकर्षित नहीं होता है। चूंकि भुगतान व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए है और धारा 194M के तहत आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि भुगतान करने वाले को अनुबंध भुगतान ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है।
		व्यावसायिक उद्देश्य के लिए श्री वलीश को कमीशन का भुगतान	₹ 80,000	हां, 194H की धारा के तहत, चूंकि भुगतान ₹ 15,000 से अधिक है और श्री गणेश की बिक्री पूर्व वर्ष 2018-19 में 1 करोड़ से अधिक है।
2.	श्री राजेश एक थोक व्यापारी जो पूर्व वर्ष 2018-19 और पूर्व वर्ष 2019-20 के लिए धारा 44AD के अन्तर्गत लाभ की घोषणा करता है।	आवासीय घर के पुनर्निर्माण के लिए अनुबंध भुगतान	₹ 55 लाख	हां, धारा 194M के अन्तर्गत, चूंकि भुगतान का कुल (उदाहरण के लिए ₹ 55 लाख) ₹ 50 लाख से अधिक है और 1.09.2019 के बाद किया गया है। चूंकि वह धारा 44AD के अन्तर्गत आनुमानिक आधार पर लाभ की घोषणा करता है, वह पूर्व वर्ष 2018-19 में कर अंकेक्षण के अधीन नहीं होगा। हालांकि, पूर्व वर्ष 2019-20 में किए गए भुगतानों के संदर्भ में धारा 194C के अन्तर्गत टीडीएस प्रावधान लागू नहीं होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3.	श्री सतीश, एक वेतन भोगी व्यक्ति	एक आवासीय घर को खरीदने के लिए दलाली का भुगतान	₹ 51 लाख	हां, धारा 194M के अन्तर्गत, चूंकि ₹ 51 लाख का भुगतान मार्च 2020 में किया गया है जो एक सीमा ₹ 50 लाख से अधिक है। चूंकि श्री सतीश एक वेतनभोगी व्यक्ति है इस धारा 194H के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं।
4.	श्री धीरज, एक पेंशन भोगी	आवासीय घर के पुनर्निर्माण के लिए अनुबंध भुगतान	₹ 48 लाख	धारा 194C के अन्तर्गत टीडीएस प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। चूंकि श्री धीरज एक पेंशनभोगी हैं, और हालांकि कर अंकेक्षण के अधीन नहीं आते हैं। धारा 194M के टीडीएस प्रावधान भी इस मामले में लागू नहीं होते हैं, चूंकि ₹ 48 लाख का भुगतान, भले ही 1.9.2019 के बाद किया गया है, जो एक सीमा ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है।

3.21 नकद उदाहरण पर टीडीएस (धारा 194N) [TDS on Cash Withdrawal (Section 194N)]

(1) प्रयोज्यता और टीडीएस की दर

धारा 194N 1.9.2019 के प्रभाव के साथ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है, जो

— एक बैंकिंग कम्पनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होते हैं (इस अधिनियम के धारा 51 के अन्तर्गत दिए गए बैंकिंग संस्थान या कोई बैंक को सम्मिलित करता है)

— एक सहकारी समिति जो बैंकिंग व्यवसाय को करती है या

— एक डाकघर

जो नकद में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है पिछले वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति के पास एक या अधिक खातों वाले किसी एक राशि या कुल राशि, जिसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति के पास एक या अधिक खाते हैं, ₹ 1 करोड़ से अधिक राशि के स्रोत पर 2% कर घटा सकते हैं।

(2) कटौती का समय

यह कटौती ऐसे भुगतान को करते समय की जानी चाहिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) धारा 194N के अन्तर्गत टीडीएस की अप्रायोज्यता

धारा 194N के तहत स्रोत पर कर घटाने का दायित्व किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगा :

— सरकार

— कोई भी बैंकिंग कम्पनी या सहकारी समिति, जो बैंकिंग के व्यवसाय को चलाने में लगी हुई है या डाक घर

— बैंकिंग कम्पनी या सहकारी समिति का कोई भी व्यवसाय RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग के व्यवसाय को चलाने में लगा हुआ है।

— भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI द्वारा जारी प्राधिकरण के अनुसार, बैंकिंग कम्पनी या सहकारी समिति जो बैंकिंग व्यवसाय को चलाने में लगे हुए हैं के सफेद लेवल एटीएम।

— RBI के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग।

3.22 कर घटाकर भुगतान योग्य आय (धारा 195A) [Income Payable net of tax (Section 195A)]

(i) अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में दी हुई, आय यदि किसी समझौते या अन्य व्यवस्था के कारण कर आदेय है तो वह उस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जो आय का भुगतान करेगा, इसके अतिरिक्त, कथित प्रावधानों में कर की कटौती के लिए आय उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी जहाँ वह कर की कटौती के बाद समझौते या अन्य व्यवस्था में दिए गए भुगतान योग्य मूल्य के बराबर होगी।

(ii) लेकिन यदि कर्मचारी को गैर–मौद्रिक अनुलाभ पर का नियोक्ता ने चुकाया हो तो वहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है [धारा 192(1A)]।

3.23 सरकार, रिजर्व बैंक या अन्य निगमों को लाभांश पर ब्याज या अन्य राशि का भुगतान (धारा 196) [Interest or Dividend or other sums payable to Government, Reserve Bank or certain Corporations (Section 196)]

(1) किसी व्यक्ति द्वारा निम्न को भुगतान करने पर TDS नहीं होगा :

(i) सरकार; या

(ii) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया; या

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निगम जिसकी आय प्रचलित कानून के अन्तर्गत कर मुक्त है;या

(iv) म्यूचुअल फण्ड[2]

(2) कटौती न करने का प्रावधान तब लागू होगा जब ऊपर वर्णित संस्थाओं को निम्न रूप में हो—

---

[2] धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) प्रतिभूतियों या अंशों के सम्बन्ध में लाभांश पर ब्याज

(a) ऊपर वर्णित संस्थाओं के स्वामित्व में हो; या

(b) जिनमें उनका सम्पूर्ण लाभकारी हित हो; या

(ii) अन्य कोई उपार्जित या उदित आय।

4. कम दर पर कर की कटौती के लिए प्रमाण–पत्र (धारा 197) [Certificate for Deduction of Tax at a Lower Rate (Section 197)]

(1) जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को भुगतान राशि पर TDS क्रेडिट या भुगतान के समय धारा 192, 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194LA तथा 194M के प्रावधानों के अन्तर्गत करना हो, उन पर यह धारा लागू है।

(2) ऐसे मामलों में करदाता कर–निर्धारण अधिकारी से निम्न दर या कटौती न करने का आवेदन कर सकता है।

(3) यदि कर–निर्धारण अधिकारी आश्वस्त हो जाए कि प्राप्तकर्ता को कम दर से या TDS न कटने का उचित मामला है तो वह करदाता को उचित प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

(4) निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी होने पर आय भुगतानकर्ता कम दर से या कटौती तब तक न करेगा। जब तक प्रमाणपत्र रद्द नहीं हो जाता है।

(5) CBDT को इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सम्यक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

5. कर–कटौती न करने की दशाएं (धारा 197A) [No Deduction in Certain Cases (Section 197A)]

(1) कर कटौती के बिना लाभांश तथा NSS भुगतान प्राप्ति के विवरण के जमा करने को योग्य प्रावधान (उप–धारा (1)) [Enabling provision for filing of declaration for receipt of NSS payment without deduction of tax] [Sub-section (1)]

(i) यह धारा व्यक्ति को धारा 194 में स्रोत पर कर कटौती के बिना लाभांश प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय बचत योजना खाते से भुगतान लेने के लिए योग्य बनाती है तथा धारा 194 EE में विवरण को निर्धारित प्रारूप में दोहरा जमा तथा सत्यापन करने का तरीका बताती है यदि वह व्यक्ति भारत निवासी है तथा जिसकी पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय मूल छूट सीमा से कम है।

(ii) उपर्युक्त प्रारूप का विवरण घोषक द्वारा लिखित में दोहरा जमा होगा उस व्यक्ति को जो धारा 194 या 194 EE में दी गई आय को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। यह घोषणा इस बात का सत्यापन करती है कि घोषक द्वारा पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय , जिसमें कथित आय कुल आय की गणना के लिए सम्मिलित है, पर कर शून्य है।

(2) कम्पनी एवं फर्म से भिन्न करदाताओं के लिए धारा 192A या 193 या 194A या 194DA या 194-I के अन्तर्गत कटौती न करने की घोषणा सम्बन्धी प्रावधान [उपधारा (1A)] [Enabling provision for filling of declaration for non-deduction of tax under section 192A or193 or 194A or 194D or 194DA or 194-I by persons, other than companies and firms (Sub-section (1A)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत TDS नहीं होगा। यदि कम्पनी या फर्म से भिन्न व्यक्ति TDS कटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को लिखित में निर्धारित फार्म में घोषणा 2 कॉपी में दें कि सन्दर्भित धाराओं में मिलने वाली आय जिस गत वर्ष में शामिल होगी। उसमें उसकी कुल आय पर कर शून्य होगा।

(3) यदि सकल अन्य/आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो तो घोषणा देने की अनुमति नहीं [उप–धारा (1)B] [Filing declaration not permissible if income/aggregate of incomes exceed basic exemption limit (Sub-section (1B)]

ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुरूप घोषणा नहीं की जा सकती जहाँ–

(i) राष्ट्रीय बचत योजनाओं आदि के तहत जमा के सम्बन्ध में भुगतान; या

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि से समय से पहले निकासी का भुगतान; या

(iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज या प्रतिभूतियों पर ब्याज को अलावा या इकाइयों पर ब्याज से आय; या

(iv) बीमा कमीशन; या

(v) जीवन बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में भुगतान; या

(vii) किराया; या

(viii) ऊपर (i) से (vi) तक ऐसी आय की राशि का कुल योग

पिछले वर्ष के दौरान क्रेडिट या भुगतान या क्रेडिट किये जाने या भुगतान किये जाने की सम्भावना, जिसमें ऐसी आय को शामिल किया जाना है, मूल छूट सीमा से अधिक है।

(4) स्रोत पर कर न काटने की निवासी वरिष्ठ नागरिक की घोषणा को जमा करने का योग्य प्रावधान [उप–धारा (1C)] [Enabling provision for filing of declaration by resident senior citizens for non-deduction of tax at source sub-section (1C)]

निवासी वरिष्ठ नागरिक के लिए जिसकी उम्र पूर्व वर्ष के समय में 60 वर्ष या अधिक है उसे धारा 192A या धारा 193 या धारा 194 या धारा 194A या धारा 194D या धारा 194DA या धारा 194EE या धारा 194-I में कर की कटौती नहीं करनी होगी यदि वह भुगतानकर्त्ता को लिखित में दोहरी घोषणा जमा करता है कि उसकी पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय पर जिसमें कथित आय कुल आय की गणना के लिए सम्मिलित है कर **शून्य** है। उप–धारा (1B) में दिया गया प्रतिबन्ध निवासी वरिष्ठ नागरिक पर लागू नहीं है।

(5) कुछ दशाओं में कर कटौती नहीं [Non-deduction of tax in certain cases]

(i) विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा अनिवासी/भारत में असाधारण निवासी को ब्याज भुगतान [उप–धारा (1D)]

विदेशी बैंकिंग इकाई निम्न ब्याज पर TDS नहीं करेगी—

(a) 1.4.2005 को या बाद में अनिवासी/असाधारण निवासी की जमा

(b) 1.4.2005 को या बाद में अनिवासी/असाधारण निवासी से ऋण

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 197A(1D) व धारा 10(15) (viii) का IFSC बैंकिंग इकाई द्वारा ब्याज भुगतान [परिपत्र सं. 26/2016 दि. 4.7.2016]   CBDT परिपत्र में स्पष्ट किया है कि धारा 197A(1D) के प्रावधानों के अनुरूप IFCS बैंकिंग यूनिट के द्वारा 1.4.2005 को या बाद में अनिवासी की जमा या भारत में असाधारण निवासी की जमा या इन व्यक्तियों से 1.4.2005 को या बाद में ऋण पर ब्याज से TDS नहीं होगा।

(ii) NPS ट्रस्ट या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भुगतान [उप–धारा (1E)]

NPS ट्रस्ट[3] या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भुगतान पर TDS नहीं होगा।

(iii) संस्थाओं/संस्थाओं के वर्ग इत्यादि को निर्दिष्ट भुगतान [उप–धारा (1F)]

ऐसी संस्थाओं/संस्थाओं के वर्ग को **या परिषद् या संघ को** निर्दिष्ट भुगतानों पर TDS नहीं होगा, जिन्हें इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार गजट में अधिसूचित करती है।

तदनुसार, केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि नीचे

निर्दिष्ट प्रकृति के भुगतानों से, यदि ये भुगतान एक व्यक्ति द्वारा RBI Act, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध बैंक को किया हो उससे TDS नहीं होगा। इसमें विदेशी बैंक या भुगतान पद्धति कम्पनी शामिल नहीं है। जिसे RBI ने Payment व Settlement Systems Act, 2007 की धारा 4(2) में अधिकृत किया हो—

(i) बैंक गारण्टी कमीशन

(ii) रोकड़ प्रबन्ध सेवा व्यय

(iii) डीमेट खाते के रखरखाव के डिपॉजिटरी व्यय;

(iv) वस्तुओं के लिए भण्डारण सेवा के व्यय,

(v) अभिगोपन सेवा व्यय

(vi) Payment व Settlement Systems Act, 2007 के अन्तर्गत समाशोधन क्रियाओं के लिए या समाशोधन के समय (MICR व्यय, समाशोधन व्यय या अन्य कोई ऐसे व्यय, नाम जो भी हो। और

(vii) मर्चेन्ट संस्थान व क्रेता बैंक के मध्य लेन–देन के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कमीशन

(6) घोषणा की एक कॉपी की सुपुर्दगी की समय–सीमा [उपधारा (2)]

उपधाराओं (1), (1A) या (1C) के अन्तर्गत सन्दर्भित घोषणाओं की प्राप्ति पर भुगतान के उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा मुख्य आयुक्त या **आयुक्त को घोषणा की एक कॉपी घोषणा के महीने के अगले माह की 7 तारीख या उससे पहले सुपुर्द करनी होगी।**

[3] धारा 10(44) में सन्दर्भित

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. मिश्रित प्रावधान या विविध प्रावधान (Miscellaneous Provisions)

6.1 कर की कटौती आय की प्राप्ति है (धारा 198) [Tax deducted is income received (Section 198)]

(1) पूर्व के प्रावधानों के अनुरूप कर कटौतियाँ करदाता की आय की गणना के उद्देश्य से, करदाता की आय समझी जाएगी।

(2) हालांकि, कुल आय की गणना करने के उद्देश्य से निर्धारिती द्वारा प्राप्त भुगतान या काटे गये निम्न कर को आय नहीं माना जायेगा।

(i) एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए गैर–मौद्रिक अनुलाभ पर धारा 192(1A) के तहत भुगतान किया गया कर।

(ii) **धारा 194N के तहत काटा गया कर।**

6.2 TDS के लिए क्रेडिट (धारा 199) [Credit for tax deducted at source (Section 199)]

(1) उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत TDS का केन्द्र सरकार को भुगतान निम्न की ओर से भुगतान माना जाएगा—

(i) जिस व्यक्ति की आय से कटौती की गई; या

(ii) प्रतिभूति का स्वामी; या

(iii) जमाकर्ता, या

(iv) सम्पत्ति का स्वामी; या

(v) यूनिट धारक; या

(vi) अंशधारी

(2) धारा 192 के उपधारा (1A) में केन्द्र सरकार को भुगतान कोई राशि उस व्यक्ति को ओर से भुगतान मानी जाएगी। जिसकी आय के सम्बन्ध में कर कटौती की गई है।

(3) CBDT को अध्याय XVII में भुगतान किए गए कर की क्रेडिट प्रदान करने हेतु नियम बनाने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। CBDT को यह अधिकार भी है कि (1) व (2) में वर्णित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को क्रेडिट प्रदान करने के लिए नियम बना सके ICBDT यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि किस कर निर्धारण वर्ष के लिए क्रेडिट दी जाए।

(4) **नियम 37BA—धारा 199 के उद्देश्य से TDS की क्रेडिट प्रदान करना**

नियम 37BA(1) इस बात की व्यवस्था करता है कि केन्द्र सरकार को भुगतान किए गए TDS की क्रेडिट उस व्यक्ति को दी जाए जिसे भुगतान किया गया है (अर्थात् जिसकी आय से कटौती की गई है)। यह कटौतीकर्ता द्वारा दी गई सूचना या आयकर अधिकारी की ओर से अधिकृत व्यक्ति की सूचना के आधार पर होगा।

नियम 37BA(2) (i) का वाक्य (i) यह व्यवस्था करता है जहाँ अन्य व्यक्ति के नाम में TDS की क्रेडिट होनी है, वहाँ अन्य व्यक्ति को TDS की सम्पूर्ण या आंशिक राशि की क्रेडिट अन्य व्यक्ति को दी जायेगी, लेकिन करदाता ऐसे TDS की सूचना कटौतीकर्ता को अपनी घोषणा में उपलब्ध कराएगा जो नियम 37BA के उप–नियम (1) में सन्दर्भित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6.3 कर–कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य [धारा 200] [Duty of person deducting tax (Section 200)]

(1) TDS के लिए उत्तरदायी व्यक्ति काटे गए कर की राशि केन्द्र सरकार में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करनी चाहिए।

(2) इसके अतिरिक्त, गैर–मौद्रिक लाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाए गए कर [धारा 192(1A)] की राशि को केन्द्र सरकार की क्रेडिट में निर्धारित अवधि के अन्दर या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, जमा कराना होगा।

नियम–30 धारा 192(1A) अन्तर्गत TDS या कर भुगतान को सरकारी खाते में जमा कराने का निर्धारित समय व विधि [Rule 30-Prescribed time and mode of payment to Government account of TDS or tax paid under section 192(1A)]

(a) एक सरकार के कार्यालय द्वारा अध्याय XVII-B के सन्दर्भ में सारी कटौतियों का योग निम्न पर केन्द्र सरकार को भुगतान या क्रेडिट किया जायेगा।

— उसी दिन जब आयकर चालान के बनाए बिना कर का भुगतान किया जाता है।

— माह के अंत में सात दिन या उसमें पहले जिसमें कटौती की जाती है या धारा 192(1A) के तहत कर देय है, जहां कर का भुगतान आयकर चालान के साथ किया जाता है।

(b) एक सरकारी कार्यालय के अतिरिक्त अन्य कटौतीकर्ताओं द्वारा अध्याय XVII-B के सन्दर्भ में सारी कटौतियों का योग केन्द्र सरकार के क्रेडिट को भुगतान की जायेगी।

— 30 अप्रैल पर या उससे पहले, जहां आय या राशि मार्च के माह में क्रेडिट या भुगतान की गई है।

— अन्य किसी मामले में, काटे गये कर का भुगतान,उस माह के अंत से सात दिन या उससे पहले किया जाना चाहिए जिसमें कटौती की गई है या धारा 192(1A) के तहत आयकर देय है।

(c) विशेष मामलों में, कर निर्धारण अधिकारी संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति से धारा 192/194A/194D/194H के अन्तर्गत TDS की राशि को प्रथम तीन तिमाहियों के लिए अगली तिमाही के महीने की 7 तारीख तक तथा 31 मार्च को समाप्त तिमाही से सम्बन्धित 30 अप्रैल तक भुगतान करना होगा।

अतः 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तथा 31 मार्च की तिमाही समाप्ति के तिमाही भुगतान की तिथि 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी तथा 30 अप्रैल है।

(d) धारा 194-IA तथा 194-IB अन्तर्गत TDS की राशि को कटौती माह के 30 दिन तक जमा करना चाहिए। फार्म 26QB/26QC भी इसके साथ भरना होगा।

(3) पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से किए गए TDS के भुगतान की रिपोर्टिंग में सुधार लाने और मौजूदा तंत्र को लागू करने के लिए, यह प्रदान किया जाता है कि जहां कर कटौती या धारा 192(1A) में उल्लिखित कर का भुगतान बिना चालान बनाए किया गया है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

PA\TO\CDDO या कोई अन्य व्यक्ति को जो भी नाम से पुकारा जाता है, जो केन्द्र सरकार के क्रेडिट के लिए इस तरह की राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है, निर्धारित फार्म में निर्धारित समय के भीतर एक विवरण का वितरण या वितरित करेगा, निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित करेगा और निर्धारित आयकर प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निर्धारित विवरण का निर्धारण करेगा।

(4) उप–धारा (3) हेतु निम्न व्यक्ति उत्तरदायी होंगे :

(i) इस अध्याय के पूर्व वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत 1.4.2005 को या बाद में किसी राशि की कटौती करने वाला व्यक्ति

(ii) धारा 192(1A) में सन्दर्भित कोई नियोक्ता व्यक्ति

(5) ऐसे विवरणों को निर्धारित आयकर अधिकारी या उसके अधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द करने या करवाने का उत्तरदायित्व होगा।

(6) ऐसे विवरण को निर्धारित फार्म में तैयार करके निर्धारित विधि से सत्यापित करने होंगे।

(7) इसमें ऐसे विवरण भरकर सुपुर्द करने होंगे जिन्हें निर्धारित अवधि में सुपुर्द करना होगा।

(8) निर्धारित अधिकारी को कटौतीकर्ता निम्न शुद्धि विवरण दे सकता है :

(a) किसी अशुद्धि का सुधार; या

(b) धारा 200(3) के अन्तर्गत प्रदत्त विवरण में कुछ जोड़ना, हटाना या सूचना को अद्यतन करना।

नियम 31A तिमाही विवरणों को जमा करना [Rule 31A – Submission of quarterly statements]

अध्याय XVII-B के तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति वितरित करेगा, या वितरित करने का कारण होगा, DGIT (प्रणाली) या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित त्रैमासिक विवरण धारा 200(3) के अनुसार हैं :

(i) धारा 192 के अन्तर्गत फार्म नं. 24Q में TDS का विवरण;

(ii) गैर–कॉर्पोरेट गैर निवासी या एक विदेशी कम्पनी या निवासी होने के अलावा अन्य सभी कटौतीकर्ताओं के सम्बन्ध में फार्म सं. 26Q में धारा 193 से अन्य धारा के तहत TDS का विवरण, लेकिन आमतौर पर निवासी के मामले में नहीं, जो प्रासंगिक रूप में फॉर्म संख्या 27Q होगा।

इस तरह के विवरणों को नियम 31A(2) में निर्दिष्ट प्रत्येक तिमाही के लिए नियत तारीख के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। तदानुसार, TDS के त्रैमासिक विवरणों को इसी तिमाही के लिए कॉलम 3 में निर्दिष्ट नियत तारीखों से प्रस्तुत किया जाना है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही का अन्तिम दिनांक	नियत तिथि
1.	30 जून	वित्त वर्ष की 31 जुलाई
2.	30 सितम्बर	वित्त वर्ष का 31 अक्टूबर

© The Institute of Chartered Accountants of India

3.	31 दिसम्बर	वित्त वर्ष की 31 जनवरी
4.	31 मार्च	कटौती वाले वित्तीय वर्ष के अगले वित्त वर्ष की 31 मई

हालांकि, धारा 194-IA या 194-IB के तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को आयकर (प्रणाली) के सामान्य प्रधान निदेशक या आयकर (प्रणाली) सामान्य निदेशक या आयकर (प्रणाली) के सामान्य प्रधान निदेशक व्यक्ति या आयकर के सामान्य निदेशक द्वारा अधिकृत व्यक्ति फॉर्म संख्या 26QB या 2QC क्रमशः कर कटौती के माह के अन्त से 30 दिन के भीतर चालान सह विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6.4 TDS विवरणों की कम्प्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग के दौरान गणितीय अशुद्धियों को ठीक करना तथा अशुद्ध दावों का समायोजन [धारा 200A] [Correction of arithmetic mistakes and adjustment of incorrect claim during computerized processing of TDS statements (Section 200A)]

(1) वर्तमान में TDS सम्बन्धी सभी विवरण इलेक्ट्रॉनिक विधि से से फाइल किये जाते हैं। जिससे इन विवरणों का कम्प्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग आसान हो जाता है। अतः इनका कम्प्यूटर पर प्रोसेस करने के लिए, आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग की ही तरह धारा 200A में इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग का प्रावधान है।

(2) TDS विवरणों की कम्प्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग के दौरान निम्न समायोजन किये जा सकते हैं :

  (i) विवरण में कोई गणितीय अशुद्धि; या

  (ii) कोई अशुद्ध दावा यदि विवरण की सूचना से स्पष्ट प्रकट होता हो।

(3) विवरण की सूचना से प्रकट अशुद्ध दावा का आशय है ऐसा दावा जो विवरण की प्रविष्टि पर आधारित हो;

  (i) उस मद की जो उस विवरण या ऐसे विवरण की अन्य मद से मेल न खाता हो;

  (ii) TDS की दर के सम्बन्ध में, जहाँ ऐसी दर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न हो।

(4) विवरण में गणना की गई घटाने योग्य राशियों के आधार पर यदि कोई ब्याज हो;

(5) धारा 234E के अनुरूप फीस की गणना। इस धारा में TDS विवरण भरने की नियत तिथि से देरी के लिए प्रत्येक दिन के ₹ 200 फीस लगेगी। लेकिन फीस की राशि कटौती योग्य/संग्रहण योग्य कर की राशि से अधिक न होगी तथा इस फीस का भुगतान विवरण प्रस्तुत करने से पहले करना होगा।

(6) भुगतान योग्य राशि या वापसी योग्य राशि का निर्धारण ब्याज व फीस धाराओं 200, 201 या 234E या अन्य कोई ब्याज या फीस के समायोजन के बाद होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(7) इस उद्देश्य से CBDT को केन्द्रीय प्रोसेसिंग हेतु देय/वापसी योग्य कर निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया है। विवरण फाइल करने के वित्तीय वर्ष के एक वर्ष के अन्दर कटौतीकर्ता की कर दायित्व या कर वापसी की सूचना तैयार करके भेजनी होगी देयकर वापसी कटौतीकर्ता को दे दी जाएगी।

(8) इस उद्देश्य के लिए, CBDT कटौतीकर्ता द्वारा देय कर या बकाया वापसी के निर्धारण के लिए TDS के विवरण की मध्यस्थ प्रक्रिया के लिए योजना बनाने के लिए सशक्त होगी।

6.5 कटौती या भुगतान करने में असफल रहने के दुष्परिणाम (धारा 201) [Consequences of failure to deduct or pay (Section 201)]

(1) कर दाता को दोषी समझा जाना है

कोई भी व्यक्ति जिसमें कम्पनी का मुख्य अधिकारी शामिल है–

(i) जिसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर को कटौती करनी हो; तथा

(ii) नियोक्ता की दशा में, धारा 192(1A) अन्तर्गत गैर–मौद्रिक अनुलाभों पर कर भुगतान कर।

यदि वह पूरा कर या उसके भाग की कटौती नहीं करता या कटौती करने के बाद कर का भुगतान नहीं करता तो वह अपराध में सम्मिलित कर निर्धारिती माना जाएगा।

(2) मान्य प्रावधान का लागू न होना

कोई व्यक्ति (कम्पनी के मुख्य अधिकरी समेत) जो निवासी प्राप्तकर्ता को क्रेडिट या भुगतान पर सम्पूर्ण या आंशिक रूप से कर कटौती करने में असफल रहता है तो उसे ऐसे निवासी प्राप्तकर्ता के सम्बन्ध में दोषी करदाता माना जाएगा–

(i) जिसमें धारा 139 अन्तर्गत अपनी अन्य की रिटर्न भेज दी है :

(ii) ऐसी राशि को आय की गणना हेतु रिटर्न में शामिल किया है; और

(iii) ऐसी आय कर रिटर्न में उसने घोषित आय पर कर भुगतान किया है तथा कर दाता इस आशय का लेखाकर का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर देता है।

(3) ब्याज देयता

(i) धारा 201(1) के अन्तर्गत, दोषी करदाता के कटौती न करने पर जिस तिथि को कर कटौती योग्य था उससे कर काटने की तिथि तक का ब्याज प्रतिमाह उसके किसी भाग पर सरल 1% ब्याज तथा कटौती तिथि से भुगतान तिथि तक की अवधि पर प्रतिमाह या उसके भाग के लिए $1\frac{1}{2}$ सरल ब्याज देय होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India